परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

(1881 का अधिनियम संख्यांक 26)

[9 दिसम्बर, 1881]

वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चैकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिये अधिनियम

उद्देशिका—वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चैकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है :

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम**—यह अधिनियम परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 कहा जा सकेगा।

स्थानीय क्षेत्र, हुण्डियों आदि से सम्बन्धित प्रथाओं की व्यावृत्ति, प्रारम्भ—इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है, किन्तु, इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात इंडियन पेपर करेन्सी ऐक्ट, 1871 (1871 का 3) की धारा 21 पर या किसी प्राच्य भाषा में की किसी भी लिखत से संबंधित किसी भी स्थानीय प्रथा पर प्रभाव नहीं डालता : परन्तु ऐसी प्रथाएँ लिखत के निकाय के किन्हीं भी ऐसे शब्दों द्वारा, जिनसे यह आशय उपदर्शित हो कि उसके पक्षकारों के विधिक संबंध इस अधिनियम द्वारा शासित होंगे, अपवर्जित की जा सकेगी; और यह पहली मार्च, 1882 को प्रवृत्त होगा।

2. **[अधिनियमितियों का निरसन]**—निरसन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा निरसित।

3. **निर्वचन खण्ड**—इस अधिनियम में—

"**बैंकार**"—"बैंकार" के अन्तर्गत बैंकार के तौर पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी डाक घर बचत बैंक आता है।

अध्याय 2

वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चैकों के विषय में

4. "**वचन-पत्र**"—"वचन-पत्र" (बैंक-नोट या करेंसी-नोट न होने वाली) ऐसी लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को धन की एक निश्चित राशि संदत्त करने का उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त वचन अन्तर्विष्ट हो।

दृष्टान्त

क निम्नलिखित शब्दों वाली लिखतों पर हस्ताक्षर करता है—

(क) "मैं ख को या उसके आदेशानुसार 500 रुपये संदत्त करने का वचन देता हूं।"

(ख) "मैं स्वीकार करता हूं कि प्राप्त मूल्य के लिये मैं ख का एक हजार रुपये का ऋणी हूं जो मांग पर संदत्त किये जाने हैं।"

(ग) "श्री ख मैं, आपका 1,000 रुपये का देनदार हूं।"

(घ) "मैं ख को 500 रुपये और वे अन्य सब राशियां जो उसे शोध्य होंगी, संदत्त करने का वचन देता हूं।"

(ङ) "मैं ख को 500 रुपये, उसमें से पहले वह धन काटकर, जिसका वह मुझे देनदार हो, संदत्त करने का वचन देता हूं।"

(च) "ग के साथ अपने विवाह के 7 दिन के पश्चात् मैं ख को 500 रुपये संदत्त करने का वचन देता हूं।"

(छ) "मैं घ की मृत्यु पर ख को 500 रुपये देने का वचन देता हूं; परन्तु यह तब जब कि घ वह राशि संदत्त करने के लिये पर्याप्त धन मेरे लिये छोड़ जाये।"

(ज) "मैं वचन देता हूं कि मैं निकटतम आगामी पहली जनवरी को ख को 500 रुपये संदत्त करूंगा और अपना काला घोड़ा उसे परिदत्त करूंगा।"

क्रमशः (क) और (ख) से अंकित लिखत वचन-पत्र हैं। क्रमशः (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) से अंकित लिखत वचन-पत्र नहीं हैं।

निर्माता—वचन पत्र के मामले में, केवल दो पक्षकार हैं, व्यक्ति, जो लिखत निर्मित करता है, को निर्माता कहा जाता है।

दाता—व्यक्ति, जो धन का भुगतान करने का वचन देता है, वचन पत्र का दाता कहा जाता है।

5. "विनिमय-पत्र"—"विनिमय-पत्र ऐसी लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निदेश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त आदेश, अन्तर्विष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदत्त करे।

संदाय करने का वचन या आदेश इस धारा और धारा 4 के अर्थ में इस कारण "सशर्त" नहीं है कि उस रकम या उसकी किसी किस्त के संदाय के समय के बारे में यह अभिव्यक्त है कि वह किसी ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के होने के पश्चात् एक निश्चित कालावधि के बीत जाने पर होगा जो मामूली मानवीय प्रत्याशा के अनुसार अवश्यम्भावी है, यद्यपि उसके होने का समय अनिश्चित हो।

देय राशि इस धारा और धारा 4 के अर्थ में "निश्चित" मानी जा सकेगी, यद्यपि उसके अन्तर्गत भावी ब्याज हो या वह विनिमय की उपदर्शित दर पर देय हो या विनिमय के अनुक्रम के अनुसार हो और यद्यपि लिखत में यह उपबंध हो कि किसी किस्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर असंदत्त अतिशेष शोध्य हो जायेगा।

वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह स्पष्ट है कि उसे निदेश दिया गया है या संदाय किया जाना है, इस धारा और धारा 4 के अर्थ में एक "निश्चित व्यक्ति" माना जा सकेगा यद्यपि उसका नाम अशुद्ध दिया गया हो या वह केवल वर्णन द्वारा ही अभिहित हो।

[1][**6. चैक**—"चैक" एक ऐसा विनिमय पत्र है, जो विनिर्दिष्ट बैंकार पर लिखा गया है और जिसकी माँग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है और इसमें विकृत चैक का इलेक्ट्रानिक प्रतिबिम्ब और इलेक्ट्रानिक रूप में चैक शामिल है।

स्पष्टीकरण I—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, अभिव्यक्ति—

---

1. 2002 का अधिनियम सं० 55 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(क) "इलेक्ट्रानिक रूप में चैक" से किसी कम्प्यूटर साधन का उपयोग करके इलेक्ट्रानिक रूप में लिखा गया और डिजीटल चिह्नक (जैवमिति चिह्नक सहित या उसके बिना) तथा, यथास्थिति, असममित गूढ़ प्रणाली या इलेक्ट्रानिक चिह्नक के साथ किसी सुरक्षित प्रणाली में हस्ताक्षरित चेक अभिप्रेत है;]

(ख) "विकृत चैक" से ऐसा चैक अभिप्रेत है, जो या तो समाशोधन गृह द्वारा या बैंक द्वारा लिखित चैक के पुनः भौतिक संचालन को प्रेषण, प्रतिस्थापित करने के लिये इलेक्ट्रानिक प्रतिबिम्ब के उत्पन्न करने पर तत्काल समाशोधन चक्र के अनुक्रम में, चाहे भुगतान करके या भुगतान प्राप्त करके, दौरान विकृत किया जाता है।

स्पष्टीकरण II—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, अभिव्यक्ति "समाशोधन गृह" से ऐसा समाशोधन गृह, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबन्धित है या ऐसा समाशोधन गृह अभिप्रेत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार मान्यता प्राप्त है।]

[2][**स्पष्टीकरण III**—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "असममित गूढ़ प्रणाली", "कम्प्यूटर साधन", "डिजीटल चिह्नक", "इलेक्ट्रानिक रूप" तथा "इलेक्ट्रानिक चिह्नक" के वही अर्थ होंगे, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।]

7. "**लेखीवाल**", "**ऊपरवाल**"—विनिमय-पत्र या चैक का रचयिता उसका "लेखीवाल" कहलाता है, संदाय करने के लिये तद्द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति "ऊपरवाल" कहलाता है।

"**जिकरीवाल**"—जब कि विनिमय-पत्र में या उस पर के किसी पृष्ठांकन में ऊपरवाल के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर लेनगी के लिये माना जाना है तब ऐसा व्यक्ति "जिकरीवाल" कहलाता है।

"**प्रतिग्रहीता**"—विनिमय-पत्र पर या यदि उसकी एक से अधिक प्रतियां हों तो ऐसी मूल प्रतियों में से एक पर विनिमय-पत्र के ऊपरवाल द्वारा उसकी अनुमति हस्ताक्षरित कर दी जाने के पश्चात् और धारक को या तन्निमित्त किसी व्यक्ति को उसका परिदान करने के पश्चात् या ऐसे हस्ताक्षर की सूचना करने के पश्चात् विनिमय-पत्र का ऊपरवाल "प्रतिग्रहीता" कहलाता है।

"**आदरणार्थ प्रतिग्रहीता**"—जब कि विनिमय-पत्र अप्रतिग्रहण के लिये या बेहतर प्रतिभूति के लिये टिप्पणित या प्रसाक्ष्यित हो गया है और लेखीवाल या उसके पृष्ठांककों में से किसी के आदरणार्थ उसे कोई व्यक्ति प्रसाक्ष्याधीन प्रतिग्रहीत करता है तो ऐसा व्यक्ति "आदरणार्थ प्रतिग्रहीता" कहलाता है।

"**पानेवाला**"—लिखत में नामित वह व्यक्ति जिसे या जिसके आदेश पर धन संदत्त किया जाना है लिखत द्वारा निर्दिष्ट हो, "पानेवाला" कहलाता है।

8. "**धारक**"—वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक के "धारक" से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं अपने नाम से उस पर कब्जा रखने का और उस पर शोध्य रकम उसके पक्षकारों से प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार है।

जहां कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक खो जाता है या नष्ट हो जाता है, वहां उसका धारक वह व्यक्ति है जो कि ऐसे खो जाने या नष्ट होने के समय ऐसा हकदार था।

9. "**सम्यक्-अनुक्रम-धारक**"—"सम्यक्-अनुक्रम-धारक" से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो—वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक में वर्णित रकम के देय होने से पूर्व और यह विश्वास करने का कि जिस व्यक्ति से उसे अपना हक व्युत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति के हक में कोई त्रुटि वर्तमान थी पर्याप्त हेतुक रखे बिना, उस दशा में, जिसमें कि वह वाहक को देय है, उस पर प्रतिफलार्थ काबिज हो गया है, अथवा उस दशा में, जिसमें कि वह आदेशानुसार देय है, उसका पानेवाला या पृष्ठांकिती हो गया है।

---

1. अधिनियम क्र० 26 सन् 2015 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 15.6.2015 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व खण्ड (क) निम्नवत था :—

'(क) "इलेक्ट्रानिक रूप में चैक" से ऐसा चैक अभिप्रेत है, जिसमें कागज चैक का यथोचित दर्पण प्रतिबिम्ब अन्तर्विष्ट है और अंकीय हस्ताक्षर (बायोमेट्री हस्ताक्षर सहित या के बिना और असममित क्रिप्टो प्रणाली के प्रयोग के साथ न्यूनतम सुरक्षा मानक को सुनिश्चित करने की सुरक्षित प्रणाली में उत्पन्न किया जाता है या लिखा जाता है या हस्ताक्षरित किया जाता है।

2. अधिनियम क्र० 26 सन् 2015 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 15.6.2015 से अन्तःस्थापित।

10. "सम्यक्-अनुक्रम में संदाय"—"सम्यक्-अनुक्रम में संदाय" से लिखत पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उस लिखत के प्रकट शब्दों के अनुसार सद्भावपूर्वक और उपेक्षा किये बिना ऐसी परिस्थितियों में किया गया संदाय अभिप्रेत है जिससे यह विश्वास करने के लिये युक्तियुक्त आधार नहीं पैदा होता कि उसमें वर्णित रकम का संदाय पाने का हकदार नहीं है।

11. "अन्तर्देशीय लिखत"—भारत में लिखित या रचित और भारत में देय किया गया या [भारत] में निवासी किसी व्यक्ति, पर लिखित वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक अन्तर्देशीय लिखत समझा जायेगा।

12. "विदेशी लिखत"—ऐसी कोई लिखत, जो ऐसे लिखित, रचित या देय रचित नहीं है विदेशी लिखत समझी जायेगी।

13. "परक्राम्य लिखत"—(1) "परक्राम्य लिखत" से या तो आदेशानुसार या वाहक को देय वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण (i)—वह वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक आदेशानुसार देय है जिसका ऐसे देय होना अभिव्यक्त हो या जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति को देय होना अभिव्यक्त हो और जिसमें अन्तरण को प्रतिषिद्ध करने वाले शब्द या यह आशय उपदर्शित करने वाले शब्द कि वह अन्तरणीय नहीं है, अन्तर्विष्ट न हों।

स्पष्टीकरण (ii)—वह वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक वाहक को देय है जिसमें यह अभिव्यक्त हो कि वह ऐसे देय है या जिस पर एकमात्र या अन्तिम पृष्ठांकन निरंक पृष्ठांकन है।

स्पष्टीकरण (iii)—जहां कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक का या तो मूलत: या पृष्ठांकन द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति के आदेशानुसार, न कि उसे या उसके आदेशानुसार देय होना अभिव्यक्त है वहां ऐसा होने पर भी वह उसके विकल्प पर उसे या उसके आदेशानुसार संदेय है।

(2) परक्राम्य लिखत दो या अधिक पाने वालों को संयुक्तत: देय रचित की जा सकेगी या वह अनुकल्पत: दो पानेवालों में से एक को या कई पानेवालों में से एक को या कुछ को देय रचित की जा सकेगी।

14. परक्रामण—जब कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक किसी व्यक्ति को ऐसे अन्तरित कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति उसका धारक हो जाता है, तब वह लिखत परक्रामित कर दी गयी है, यह कहा जाता है।

15. पृष्ठांकन—जब कि परक्राम्य लिखत का रचयिता या धारक ऐसे रचयिता के रूप में हस्ताक्षर करने से अन्यथा, परक्राम्य के प्रयोजन के लिये उसके पृष्ठ पर या मुख-भाग पर या उससे उपाबद्ध कागज की परची पर हस्ताक्षर करता है या परक्राम्य लिखत के रूप में पूर्ति किये जाने के लिये आशयित स्टाम्प-पत्र पर उसी प्रयोजन के लिये ऐसे हस्ताक्षर करता है तब यह कहा जाता है कि वह उसे पृष्ठांकित करता है और वह "पृष्ठांकक" कहलाता है।

16. "निरंक" पृष्ठांकन और "पूर्ण" पृष्ठांकन—"पृष्ठांकिती"—(1) यदि पृष्ठांकक केवल अपना नाम हस्ताक्षरित करता है तो पृष्ठांकन "निरंक" कहलाता है और यदि वह लिखत वर्णित रकम किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार संदत्त करने का निदेश जोड़ देता है तो पृष्ठांकन "पूर्ण" कहलाता है, और ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति लिखत का "पृष्ठांकिती" कहलाता है।

(2) इस अधिनियम के जो उपबन्ध पाने वाले से संबंधित हैं वे पृष्ठांकिती को आवश्यक उपान्तरों सहित लागू होंगे।

17. संदिग्धार्थी लिखत—जहां कि लिखत का अर्थ वचन-पत्र या विनिमय-पत्र दोनों लगाया जा सकता है वहां धारक अपने निर्वाचन द्वारा उसे दोनों में से किसी भी रूप में बरत सकेगा और तत्पश्चात् वह लिखत तदनुसार बरती जायेगी।

18. जहां कि रकम अंकों और शब्दों में भिन्नतः कथित है—यदि वह रकम, जिसके संदत्त किये जाने का वचन या आदेश दिया गया है, अंकों और शब्दों में भिन्नतः कथित है तो शब्दों में कथित रकम वह होगी जिसके संदत्त किये जाने का वचन या आदेश दिया गया है।

19. मांग पर देय लिखत—वह वचन-पत्र या विनिमय-पत्र, जिसमें संदाय का कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है, और चैक, मांग पर देय होते हैं।

20. स्टाम्पित अधूरी लिखत—जहां कि एक व्यक्ति भारत में परक्राम्य लिखत-संबंधी तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार, स्टाम्पित और या तो पूर्णतः निरंक या उस पर अपूरित परक्राम्य लिखत लिखकर कोई कागज हस्ताक्षरित करता है और किसी दूसरे को परिदत्त कर देता है जहां वह उसके धारक को तद्द्वारा यह प्रथमदृष्टया प्राधिकार देता है कि वह किसी भी रकम के लिये, जो उसमें विनिर्दिष्ट हो, और उस रकम से अधिक न हो जिसके लिये वह स्टाम्प पर्याप्त है, परक्राम्य लिखत उस पर यथास्थिति रच ले या पूर्ण कर ले। ऐसे हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अपनी उस हैसियत में, जिसमें उसने उस पर हस्ताक्षर किया, किसी भी सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति ऐसी रकम के लिये ऐसी लिखत पर दायी होगा,

परन्तु परक्राम्य लिखत से भिन्न कोई भी व्यक्ति लिखत परिदत्त करने वाले व्यक्ति से उस रकम से अधिक कुछ वसूल न करेगा जो उसके द्वारा तदधीन संदत्त की जाने के लिये आशयित थी।

21. ''दर्शन पर'' ''उपस्थापन पर'' ''दर्शनोपरान्त''—वचन-पत्र या विनिमय-पत्र में ''दर्शन पर'' और ''उपस्थापन पर'' शब्दों से मांग पर अभिप्रेत है। ''दर्शनोपरान्त'' शब्द से वचन-पत्र में दर्शनार्थ उपस्थापन के पश्चात् तथा विनिमय-पत्र में प्रतिग्रहण के या अप्रतिग्रहण के लिये टिप्पण या अप्रतिग्रहण के लिये प्रसाक्ष्य के पश्चात् अभिप्रेत है।

'22. ''परिपक्वता''—वचन-पत्र या विनिमय-पत्र की परिपक्वता उस तारीख को होती है जिसको वह शोध्य हो जाता है।

अनुग्रह दिवस—हर वचन-पत्र या विनिमय-पत्र की, जिसकी मांग पर, दर्शन पर या उपस्थापन पर देय होना अभिव्यक्त नहीं है, परिपक्वता उस तारीख के तीसरे दिन होती है जिसको उसका देय होना अभिव्यक्त है।

23. जो विनिमय-पत्र या वचन-पत्र तारीख या दर्शन से इतने मास के पश्चात् देय है उसकी परिपक्वता की गणना—उस तारीख की गणना करने में, जिसको वह वचन-पत्र या विनिमय-पत्र, जो ऐसे रचित है कि वह तारीख या दर्शन से निश्चित मांगों की संख्या या किसी निश्चित घटना के पश्चात् देय है, परिपक्व हो जाता है वह कथित कालावधि, मास के उसी दिन को, जो लिखत की तारीख का है या जिसको लिखत प्रतिग्रहण या दर्शन के लिये उपस्थापित की गयी है या अप्रतिग्रहण के लिये टिप्पणित है या अप्रतिग्रहण के लिये प्रसाक्ष्यित की गयी है या वह घटना होती है या जहां लिखत दर्शन के कथित संख्या के मास पश्चात् देय होने वाला विनिमय-पत्र है और आदरणार्थ प्रतिगृहीत किया गया है वहां उस तारीख वाले दिन को, जिसको वह ऐसे प्रतिगृहीत की गयी थी, पर्यवसित समझी जायेगी। यदि जिस मास में वह कालावधि पर्यवसित होगी, उसमें वह तारीख वाला दिन नहीं है तो वह कालावधि ऐसे मास के अन्तिम दिन को पर्यवसित समझी जायेगी।

दृष्टांत

(क) 29 जनवरी, 1878 तारीख की एक परक्राम्य लिखत ऐसे रचित है कि वह उस तारीख के एक मास के पश्चात् देय है। लिखत 28 फरवरी, 1878 के पश्चात् तीसरे दिन परिपक्व हो जाती है।

(ख) 30 अगस्त, 1878 तारीख की एक परक्राम्य लिखत ऐसे रचित है कि वह उस तारीख के तीन मास पश्चात् देय है। लिखत 3 दिसम्बर, 1878 को परिपक्व हो जाती है।

(ग) 31 अगस्त, 1878 तारीख का एक वचन-पत्र ऐसे रचित है कि वह उस तारीख के तीन मास पश्चात् देय है। लिखत 3 दिसम्बर, 1878 को परिपक्व हो जाती है।

24. जो विनिमय-पत्र या वचन-पत्र तारीख या दर्शन से इतने दिनों के पश्चात् देय है उसकी परिपक्वता की गणना—उस तारीख की गणना करने में, जिसको वह वचन-पत्र या विनिमय-पत्र जो ऐसे रचित है कि वह तारीख से या दर्शन से या किसी निश्चित घटना के दिनों की निश्चित संख्या के पश्चात् देय है, परिपक्व हो जाता है, उस तारीख या प्रतिग्रहण या दर्शन के लिये उपस्थापित करने का या अप्रतिग्रहण के लिये प्रसाक्ष्य का दिन या वह दिन, जिस दिन वह घटना घटित होती है, अपवर्जित कर दिया जायेगा।

25. जबकि परिपक्वता का दिन लोक अवकाश का दिन है—जबकि वह दिन, जिसको कोई वचन-पत्र या विनिमय-पत्र परिपक्व हो जायेगा लोक अवकाश दिन हो तब लिखत निकटतम पूर्व कारबार वाले दिन शोध्य समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण—''लोक अवकाश दिन'' पद के अन्तर्गत रविवार आता है और ऐसा कोई भी अन्य दिन आता है जिसे केन्द्रीय सरकार ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लोक अवकाश दिन घोषित किया है।

अध्याय 3

वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैकों के पक्षकार

26. वचन-पत्र आदि रचने आदि के लिये सामर्थ्य—ऐसा हर व्यक्ति जो उस अवधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है, संविदा करने के लिये समर्थ है, वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक की रचना, लेखन, प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन, परिदान और परक्रामण करके अपने को आबद्ध कर सकेगा और आबद्ध हो सकेगा।

अप्राप्तवय—अप्राप्तवय ऐसी लिखत का लेखन, पृष्ठांकन, परिदान और परक्रामण ऐसे कर सकेगा कि स्वयं उसके सिवाय सब पक्षकार आबद्ध हो जाएँ।

एतस्मिन् अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी निगम को इस बात के लिये सशक्त करने वाली न समझी जायेगी कि वह ऐसी दशाओं के सिवाय, जिनमें वह तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसा करने के लिये सशक्त हो ऐसी लिखतों का लेखन, पृष्ठांकन या प्रतिग्रहण कर सके।

27. अभिकरण—ऐसा हर व्यक्ति, जो अपने को आबद्ध करने के लिये या आबद्ध होने के लिये इस प्रकार समर्थ है, जैसा धारा 26 में वर्णित है, सम्यक् रूप से ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अपने आप को आबद्ध कर सकेगा या आबद्ध हो सकेगा जो उसके नाम में काम कर रहा है।

कारबार संव्यवहृत करने और ऋणों को प्राप्त करने और उन्मोचित करने के लिये साधारण प्राधिकार से विनिमय-पत्र का ऐसा प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन करने की शक्ति अभिकर्ता को प्राप्त नहीं होती जिससे उसका मालिक आबद्ध हो जाये।

विनिमय-पत्र के लिखने के प्राधिकार से स्वतः ही यह विवक्षित नहीं होता कि उसमें पृष्ठांकन करने का प्राधिकार है।

28. हस्ताक्षर करने वाले अभिकर्ता का दायित्व—वह अभिकर्ता, जो किसी वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक पर अपना नाम उस पर यह उपदर्शित किये बिना कि वह अभिकर्ता की हैसियत से हस्ताक्षर कर रहा है या यह कि उसका आशय एतद्द्वारा वैयक्तिक उत्तरदायित्व उपगत करने का नहीं है, हस्ताक्षरित करता है वह उस लिखत पर वैयक्तिक रूप से दायी है किन्तु वह उन लोगों के प्रति ऐसे दायी नहीं है, जिन्होंने उसे इस विश्वास पर हस्ताक्षर करने के लिये उत्प्रेरित किया कि केवल मालिक ही दायी ठहराया जायेगा।

29. हस्ताक्षर करने वाले विधिक प्रतिनिधि का दायित्व—मृतक व्यक्ति को जो विधिक प्रतिनिधि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक पर अपना नाम हस्ताक्षर करता है वह उस पर वैयक्तिक रूप से दायी है जब तक कि वह अपना दायित्व अपनी उस हैसियत में उसे प्राप्त आस्तियों के विस्तार तक अभिव्यक्तत: परिसीमित न कर ले।

30. लेखीवाल का दायित्व—विनिमय-पत्र या चैक का लेखीवाल उसके ऊपरवाल या प्रतिग्रहीता द्वारा उसके अनादृत किये जाने पर उसके धारक को प्रतिकर देने के लिये आबद्ध है, परन्तु यह तब जब कि लेखीवाल को अनादर की सम्यक् सूचना एतस्मिन् पश्चात् उपबंधित रूप में दे दी गयी या प्राप्त हो गयी हो।

31. चैक के ऊपरवाल का दायित्व—चैक के लेखीवाल की ऐसी पर्याप्त निधियां, जो ऐसे चैक के संदाय के लिये उचित रूप में उपयोजित की जा सकती हों, अपने पास रखने वाले चैक के ऊपरवाल को अपने से ऐसा करने के लिये सम्यक् रूप से अपेक्षित की जाने पर चैक का संदाय करना होगा और ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर ऐसे व्यतिक्रम से हुई किसी भी हानि या नुकसान के लिये प्रतिकर से लेखीवाल को देना होगा।

32. वचन-पत्र के रचयिता और विनिमय-पत्र के प्रतिग्रहीता का दायित्व—तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो वचन-पत्र का रचयिता और विनिमय-पत्र के परिपक्व होने के पूर्व उसका प्रतिग्रहीता क्रमश: वचन-पत्र या प्रतिग्रहण के प्रकट शब्दों के अनुसार उसकी परिपक्वता पर उसकी रकम और विनिमय-पत्र का प्रतिग्रहीता उसकी परिपक्वता पर या परिपक्वता के पश्चात् उसकी रकम धारक को मांग पर संदत्त करने के लिये आबद्ध है।

पूर्वोक्त जैसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर ऐसा रचयिता या प्रतिग्रहीता वचन-पत्र या विनिमय-पत्र के किसी भी पक्षकार को किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिये प्रतिकर देने के लिये आबद्ध है जो उसे उठाना पड़ा है और ऐसे व्यतिक्रम से हुआ है।

33. केवल ऊपरवाल आवश्यकता में के या आदरणार्थ होने के सिवाय प्रतिग्रहीता हो सकता है—विनिमय-पत्र के ऊपरवाल या कई ऊपरवालों में से सब या कुछ या जिकरीवाल या आदरणार्थ प्रतिग्रहीता के रूप में उसमें नामित व्यक्ति के सिवाय कोई भी व्यक्ति प्रतिग्रहण द्वारा अपने को आबद्ध नहीं कर सकता।

34. जो ऊपरवाल भागीदार नहीं हैं उन द्वारा प्रतिग्रहण—जहां कि विनिमय-पत्र के कई ऐसे ऊपरवाल हैं, जो भागीदार नहीं हैं, वहां उनमें से हर एक उसे अपने लिये प्रतिगृहीत कर सकता है किन्तु उनमें से कोई भी किसी दूसरे के लिये उसके प्राधिकार के बिना प्रतिगृहीत नहीं कर सकता।

35. पृष्ठांकक का दायित्व—तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो जो कोई किसी परक्राम्य लिखत की परिपक्वता से पूर्व उसे पृष्ठांकित और परिदत्त ऐसे पृष्ठांकन में अपने स्वयं के दायित्व को अभिव्यक्तत: अपवर्जित या सशर्त किये बिना करता है वह तद्द्वारा उस दशा में, जिसमें ऊपरवाल, प्रतिग्रहीता या रचयिता द्वारा उसे अनादृत किया जाये, हर एक पश्चातवर्ती धारक के प्रति ऐसी हानि या नुकसान के लिये, जो ऐसे अनादर से उसे हुआ है, प्रतिकर देने के लिये आबद्ध है, परन्तु यह तब जब कि अनादर की सम्यक् सूचना ऐसे पृष्ठांकक को एतस्मिन् पश्चात् उपबंधित रूप में दे दी गयी हो या प्राप्त हो गयी हो।

हर पृष्ठांकक अनादर के पश्चात् वैसे ही दायी है जैसे वह मांग पर देय लिखत पर दायी होता है।

36. सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति पूर्विक पक्षकारों का दायित्व—परक्राम्य लिखत का हर पूर्विक पक्षकार सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति तब तक उसके आधार पर दायी है जब तक उस लिखत की सम्यक् रूप से तुष्टि न कर दी जाये।

37. रचयिता, लेखीवाल और प्रतिग्रहीता मूल ऋणी होंगे—वचन-पत्र या चैक का रचयिता, विनिमय-पत्र का लेखीवाल प्रतिग्रहण तक, और प्रतिग्रहीता उसके आधार पर क्रमशः मूल ऋणियों के रूप में, तत्प्रतिकूल संविदा न होते, दायी हैं और उसके अन्य पक्षकार, यथास्थिति, रचयिता, लेखीवाल या प्रतिग्रहीता के प्रतिभूओं के रूप में उसके आधार पर दायी हैं।

38. हर एक पाश्चिक पक्षकार की बाबत पूर्विक पक्षकार मूल ऋणी होगा—प्रतिभूओं के रूप में ऐसे दायी पक्षकारों का जहां तक पारस्परिक संबंध है वहां तक हर एक पूर्विक पक्षकार, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उसके आधार पर हर एक पाश्चिक पक्षकार के प्रति मूल ऋणी के रूप में भी दायी है।

दृष्टांत

क स्वयं अपने आदेशानुसार विनिमय-पत्र ख पर लिख देता है, जो उसे प्रतिगृहीत कर लेता है; तत्पश्चात् क विनिमय-पत्र को ग के नाम, ग, घ के नाम और घ, ङ के नाम पृष्ठांकित कर देता है। जहां तक ङ और ख का सम्बन्ध है, ख मूल ऋणी है और क, ग, और घ उसके प्रतिभू हैं। जहां तक ङ और क का सम्बन्ध है क मूल ऋणी है और ग और घ उसके प्रतिभू हैं। जहां तक ङ और ग का सम्बन्ध है, ग मूल ऋणी है और घ उसका प्रतिभू है।

39. प्रतिभूत्व—जबकि प्रतिग्रहीत विनिमय-पत्र का धारक प्रतिग्रहीता से कोई ऐसी संविदा कर लेता है जिससे अन्य पक्षकार भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 134 या 135 के अधीन उन्मोचित हो जाते हों तब धारक अन्य पक्षकारों को भारित करने का अपना अधिकार अभिव्यक्तः आरक्षित रख सकेगा और ऐसी दशा में वे उन्मोचित नहीं होते हैं।

40. पृष्ठांकक के दायित्व का उन्मोचन—जहां कि परक्राम्य का धारक किसी पूर्विक पक्षकार के विरुद्ध पृष्ठांकक के उपचार का नाश या ह्रास पृष्ठांकक की सम्मति के बिना कर देता है, वहां पृष्ठांकक धारक के प्रति दायित्व से उस विस्तार तक उन्मोचित हो जाता है जहां तक वह हो जाता यदि परिपक्वता पर उस लिखत का संदाय कर दिया गया होता।

दृष्टांत

ख के आदेश पर देय रचित विनिमय-पत्र का धारक क है, जिसमें, निम्नलिखित, निरंक पृष्ठांकन है :

प्रथम पृष्ठांकन, "ख"।

द्वितीय पृष्ठांकन, "पीटर विलियम्स"।

तृतीय पृष्ठांकन, "राइट एण्ड कम्पनी"।

चतुर्थ पृष्ठांकन, "जान रोजारियो"।

इस विनिमय-पत्र पर क जान रोजारियो के विरुद्ध वाद लाता है और पीटर विलियम्स और राइट एण्ड कं० द्वारा पृष्ठांकन जान रोजारियो की सम्मति के बिना काट देता है। क जान रोजारियो से कुछ भी वसूल करने का हकदार नहीं है।

41. प्रतिग्रहीता आबद्ध है यद्यपि पृष्ठांकन कूटरचित है—पहले से ही पृष्ठांकित विनिमय-पत्र का प्रतिग्रहीता दायित्व से इस कारण से मुक्त नहीं हो जाता कि ऐसा पृष्ठांकन कूटरचित है यदि जब कि उसने विनिमय-पत्र प्रतिगृहीत किया था, वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि वह पृष्ठांकन कूटरचित है।

42. कल्पित नाम में लिखे गये विनिमय-पत्र का प्रतिग्रहण—कल्पित नाम में लिखा गया और लेखीवाल के आदेश पर देय विनिमय-पत्र का प्रतिग्रहीता, किसी ऐसे सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति, जो लेखीवाल के हस्ताक्षर जैसे ही हस्ताक्षर द्वारा और लेखीवाल द्वारा रचित तात्पर्यित पृष्ठांकन के अधीन दावा करता है, दायित्व से इस कारण मुक्त नहीं हो जाता कि ऐसा नाम कल्पित है।

43. परक्राम्य लिखत प्रतिफल के बिना रचित इत्यादि—प्रतिफल के बिना, या ऐसे प्रतिफल के लिये, जो निष्फल हो जाता है, रचित, लिखत, प्रतिग्रहीत, पृष्ठांकित या अन्तरिम परक्राम्य लिखत उस संव्यवहार के पक्षकारों के बीच संदाय की कोई बाध्यता सृष्ट नहीं करती। किन्तु यदि ऐसे किसी पक्षकार ने किसी प्रतिफलार्थ धारक को यह लिखत पृष्ठांकन सहित या रहित अंन्तरित कर दी है तो ऐसा धारक और उससे हक व्युत्पन्न करने वाला हर पाश्चिक धारक ऐसी लिखत पर शोध्य रकम प्रतिफलार्थ अन्तरक से या उस लिखत के किसी भी पूर्विक पक्षकार से वसूल कर सकेगा।

अपवाद 1—जिस पक्षकार के सौकर्य के लिये परक्राम्य लिखत रची गयी, लिखी गयी, प्रतिग्रहीत की गयी या पृष्ठांकित की गयी है, यदि उसने उसकी रकम का संदाय कर दिया है तो वह किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जो उसके सौकर्य के लिये ऐसे लिखत का पक्षकार बना है, उस लिखत पर ऐसी रकम वसूल नहीं कर सकता।

अपवाद 2—लिखत का कोई भी पक्षकार, जिससे किसी अन्य पक्षकार को ऐसे प्रतिफल के लिये, जिसे देने में या जिसका पूर्णत: पालन करने में वह असफल रहा है उसे अपने हक में रचने, लिखने, प्रतिग्रहीत करने या पृष्ठांकित या अन्तरित करने के लिये उत्प्रेरित किया है, उस प्रतिफल के (यदि कोई हो) जो उसने वस्तुत: दिया है, या जिसका उसने वस्तुत: पालन किया है, मूल्य से अधिक रकम वसूल न करेगा।

44. धन के रूप में प्रतिफल का भागत: अभाव या निष्फल हो जाना—जबकि वह प्रतिफल, जिसके लिये किसी व्यक्ति ने वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक को हस्ताक्षरित किया है, धन के रूप में या और प्रारंभ में भागत: विद्यमान न था या तत्पश्चात्, भागत: निष्फल हो गया है, तब वह राशि, जिसे ऐसे हस्ताक्षरकर्ता से अव्यवहित संबंध में स्थित धारक उससे पाने का हकदार होगा अनुपातत: कम हो जाती है।

स्पष्टीकरण—विनिमय-पत्र का लेखीवाल प्रतिग्रहीता से अव्यवहित संबंध में स्थित होता है। वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक का रचयिता पाने वाले से और पृष्ठांकक अपने पृष्ठांकिती से अव्यवहित संबंध में स्थित होता है। अन्य हस्ताक्षरकर्ता धारक से अव्यवहित संबंध में करार द्वारा स्थित हो सकेंगे।

दृष्टांत

क अपने आदेशानुसार देय 500 रुपये का विनिमय-पत्र ख पर लिखता है। ख विनिमय-पत्र को प्रतिगृहीत कर लेता है। किन्तु तत्पश्चात् संदाय न करके उसे अनादृत कर देता है। क विनिमय-पत्र के आधार पर ख पर वाद लाता है। ख साबित कर देता है कि 400 रुपये के लिये तो वह मूल्यार्थ प्रतिग्रहीत किया गया था और अवशिष्ट के लिये वादी के सौकर्य के लिये प्रतिगृहीत किया गया था। क केवल 400 रुपये वसूल कर सकता है।

45. जो प्रतिफल धन के रूप में नहीं है उसका भागत: निष्फल होना—जहां कि उस प्रतिफल का, जिसके लिये, किसी व्यक्ति ने वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक हस्ताक्षरित किया था, कोई भाग यद्यपि धन के रूप में नहीं है, तथापि साम्पार्श्विक जांच के बिना धन के रूप में अभिनिश्चित किया जा सकता है और उस भाग की निष्फलता हुई है वहां वह राशि, जो उस हस्ताक्षरकर्ता से अव्यवहित संबंध में स्थित धारक उससे वसूल करने का हकदार है, अनुपातत: कम हो जाती है।

45-क. खोए हुए विनिमय-पत्र की दूसरी प्रति पाने का धारक का अधिकार—जहां कि विनिमय-पत्र अतिशोध्य होने के पूर्व खो गया है वहां जो व्यक्ति उसका धारक था वह उसके लेखीवाल को इस बात के लिये कि जिस विनिमय-पत्र का खो जाना अभिकथित है, उसके पुन: पाये जाने की दशा में सब व्यक्तियों के विरुद्ध, चाहे वे कोई भी हों, लेखीवाल की क्षतिपूर्ति की जायेगी, प्रतिभूति यदि वह अपेक्षित की जाये देकर अपने को वैसा ही दूसरा विनिमय-पत्र देने के लिये आवेदन कर सकेगा।

यदि लेखीवाल पूर्वोक्त जैसी प्रार्थना पर विनिमय-पत्र की ऐसी दूसरी प्रति देने से इन्कार करे तो वह ऐसा करने के लिये विवश किया जा सकेगा।

अध्याय 4

परक्राम्य के विषय में

46. परिदान—वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक की रचना, या उसका प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन, वास्तविक या आन्वयिक, परिदान द्वारा पूरा हो जाता है।

इसलिये कि जहां तक उन पक्षकारों के बीच, जो अव्यवहित संबंध में स्थित हैं, परिदान प्रभावी हो वह परिदान उस लिखत को स्वयं रचने, प्रतिग्रहीत करने या पृष्ठांकित करने वाले पक्षकार के द्वारा या उसके द्वारा तन्निमित प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

ऐसे पक्षकारों के लिखत के और ऐसे धारक के बीच, जो सम्यक्-अनुक्रम-धारक नहीं है, यह दर्शित किया जा सकेगा कि लिखत सशर्त या विशेष प्रयोजन के लिये ही न कि उसमें की सम्पत्ति को आत्यन्तिकतः अन्तरित करने के प्रयोजन के लिये, परिदत्त की गयी थी।

वाहक को देय वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक उसके परिदान द्वारा परक्राम्य है।

आदेशानुसार देय वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक, धारक द्वारा उसके पृष्ठांकन और परिदान द्वारा परक्राम्य है।

47. परिदान द्वारा परक्रामण—वाहक को देय वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक धारा 58 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उसके परिदान द्वारा परक्राम्य है।

अपवाद—इस शर्त पर परिदत्त वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक कि अमुक घटना घटित होने के सिवाय वह प्रभावशाली नहीं होना है (उस दशा के सिवाय जब कि वह ऐसे मूल्यार्थ धारक के हाथ में हो, जिसे इस शर्त की सूचना नहीं थी) तब तक परक्रामित नहीं होता जब तक कि ऐसी घटना घटित न हो जाये।

दृष्टांत

(क) वाहक को देय परक्राम्य लिखत का धारक क उसे ख के अभिकर्ता को ख के लिये रखने को परिदत्त करता है। लिखत परक्राम्य हो गयी है।

(ख) वाहक को देय उस परक्राम्य लिखत का धारक क, जो लिखत क के बैंकार के हाथ में, जो उस समय ख का भी बैंकार है, बैंकार को निदेश देता है कि वह उस लिखत को उस बैंकार क या ख के खाते में ख के नाम अन्तरित करके जमा कर दे। बैंकार ऐसा करता है और तदनुसार अब वह लिखत ख के अभिकर्ता के रूप में उसके कब्जे में है। वह लिखत पर परक्रामित हो गयी है और ख उसका धारक हो गया है।

48. पृष्ठांकन द्वारा परक्रामण—धारा 58 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि आदेशानुसार देय वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक धारक द्वारा उसके पृष्ठांकन और परिदान द्वारा परक्रामित होता है।

49. निरंक पृष्ठांकन का पूर्ण पृष्ठांकन में संपरिवर्तन—निरंक पृष्ठांकित परक्राम्य लिखत का धारक पृष्ठांकक के हस्ताक्षर के ऊपर निदेश लिखकर कि पृष्ठांकिती के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को उसका संदाय किया जाये, अपना नाम हस्ताक्षरित किये बिना निरंक पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में संपरिवर्तित पर सकेगा और वह धारक तद्द्वारा पृष्ठांकक का उत्तरदायित्व उपगत नहीं करता।

50. पृष्ठांकन का प्रभाव—परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकन तत्पश्चात् परिदान होने पर उसमें की सम्पत्ति पृष्ठांकिती को आगे के परक्रामण के अधिकार सहित अन्तरित कर देता है, किन्तु पृष्ठांकन अभिव्यक्त शब्दों द्वारा ऐसा अधिकार निर्बन्धित या अपवर्जित कर सकेगा अथवा पृष्ठांकिती को लिखत का पृष्ठांकन करने का या पृष्ठांकक के लिये या किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिये उसकी अन्तर्वस्तुएं प्राप्त करने को केवल अभिकर्ता बना सकेगा।

दृष्टांत

ख वाहक को देय विभिन्न परक्राम्य लिखतों पर निम्नलिखित पृष्ठांकन हस्ताक्षरित करता है—

(क) "अन्तर्वस्तुओं का संदाय केवल **ग** को करो।"

(ख) "मेरे उपयोग के लिये **ग** को संदाय करो।"

(ग) "**ख** के लेखे **ग** को या आदेशानुसार संदाय करो।"

(घ) "इसकी अन्तर्वस्तुयें **ग** के नाम जमा कर दो।"

ग द्वारा आगे के परक्रामण का अधिकार इन पृष्ठांकनों में अपवर्जित है।

(ङ) "**ग** को संदाय करो।"

(च) "ओरिएण्टल बैंक में **ग** के खाते में इसका मूल्य जमा कर दो।"

(छ) "पृष्ठांकक और अन्यों को **ग** ने जो समनुदेशन विलेख निष्पादित किया है उसके प्रतिफल के भागस्वरूप **ग** को इसकी अन्तर्वस्तुओं का संदाय करो।"

ग द्वारा आगे के परक्राम्य के अधिकार को ये पृष्ठांकन अपवर्जित नहीं करते।

51. परक्रामण कौन कर सकेगा—परक्राम्य लिखत का हर एकल रचयिता, लेखीवाल, पानेवाला या पृष्ठांकिती या कई संयुक्त रचयिताओं, लेखीवालों, पानेवालों या पृष्ठांकितियों में से सब उसे पृष्ठांकित और परक्रामित कर सकेंगे यदि ऐसी लिखत की परक्राम्यता धारा 50 में वर्णित रूप में निर्बन्धित या अपवर्जित नहीं की गयी है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में की गयी कोई भी बात रचयिता या लेखीवाल को लिखत को पृष्ठांकित करने या परक्रामित करने के लिये समर्थ नहीं बनाती जब तक कि वह उस पर विधिपूर्ण कब्जा न रखता हो या वह उसका धारक न हो, और न वह पाने वाले या पृष्ठांकिती को, लिखत को पृष्ठांकित या परक्रामित करने के लिये समर्थ बनाती है, जब तक कि वह उसका धारक न हो।

दृष्टांत

विनिमय-पत्र **क** को या आदेशानुसार देय लिखा गया है। **क** से **ख** के नाम पृष्ठांकित करता है। पृष्ठांकन में "या आदेशानुसार" शब्द या कोई समतुल्य शब्द अन्तर्विष्ट नहीं है। **ख** लिखत को परक्रामित कर सकेगा।

52. पृष्ठांकक जो अपने स्वयं के दायित्व को अपवर्जित करता है या सशर्त करता है—परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकक, पृष्ठांकन में अभिव्यक्त शब्दों द्वारा, उस पर का अपना स्वयं का दायित्व अपवर्जित कर सकेगा या ऐसे दायित्व को या उस लिखत पर शोध्य रकम को प्राप्त करने के पृष्ठांकिती के अधिकार को किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, चाहे ऐसी घटना कभी भी घटित न हो, आश्रित कर सकेगा।

जहां कि कोई पृष्ठांकक अपने दायित्व को ऐसे अपवर्जित करता है और तत्पश्चात् लिखत का धारक हो जाता है वहां सब मध्यवर्ती पृष्ठांकक उसके प्रति दायी होते हैं।

दृष्टांत

(क) परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकक "दायित्व रहित" यह शब्द जोड़ कर अपना नाम हस्ताक्षरित करता है।

इस पृष्ठांकन के आधार पर वह कोई दायित्व उपगत नहीं करता।

(ख) **क** परक्राम्य लिखत का पानेवाला और धारक है। "दायित्व रहित" इस पृष्ठांकन द्वारा वैयक्तिक दायित्व को अपवर्जित करके वह लिखत **ख** को अन्तरित करता है और **ख,** उसे **ग** को पृष्ठांकित करता है जो उसे **क** को पृष्ठांकित कर देता है। **क** न केवल अपने पूर्ववर्ती अधिकारों में ही पुनःस्थापित हो जाता है वरन् उसे **ख** और **ग** के विरुद्ध पृष्ठांकिती के अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं।

53. सम्यक्-अनुक्रम-धारक से हक व्युत्पन्न करने वाला धारक—परक्राम्य लिखत का वह धारक, जिसे सम्यक्-अनुक्रम-धारक से हक व्युत्पन्न हुआ है उस लिखत पर उस सम्यक्-अनुक्रम-धारक के अधिकार रखता है।

54. निरंक पृष्ठांकित लिखत—क्रास की हुई चैकों के बारे में जो उपबन्ध एतस्मिन् पश्चात् अन्तर्विष्ट हैं उनके अध्यधीन रहते हुए यह है कि निरंक पृष्ठांकित परक्राम्य लिखत उसके वाहक को देय होती है यद्यपि वह मूलत: आदेशानुसार देय थी।

55. निरंक पृष्ठांकन का पूर्ण पृष्ठांकन में संपरिवर्तन—यदि परक्राम्य लिखत निरंक पृष्ठांकित की जाने के पश्चात् पूर्ण पृष्ठांकित की जाये तो जिस व्यक्ति के पक्ष में वह पूर्ण पृष्ठांकित की गयी है या जिसका हक ऐसे व्यक्ति के माध्यम द्वारा व्युत्पन्न हुआ है उसके द्वारा किये जाने के सिवाय उसकी रकम का दावा पूर्ण पृष्ठांकन करने वाले से नहीं किया जा सकता।

56. शोध्य राशि के भाग के लिये पृष्ठांकन—परक्राम्य लिखत पर का कोई भी लेख, यदि उससे यह तात्पर्यित हो कि वह उस लिखत पर शोध्य प्रतीत होने वाली रकम के किसी भाग को ही अन्तरित करता है, परक्रामण के प्रयोजन के लिये विधिमान्य न होगा। किन्तु जहां कि ऐसी रकम का संदाय भागत: कर दिया गया है वहां उस आशय वाला टिप्पण उस लिखत पर पृष्ठांकित किया जा सकेगा जो तब बाकी के लिये परक्रामित की जा सकेगी।

57. मृतक द्वारा पृष्ठांकित लिखत को विधिक प्रतिनिधि केवल परिदान द्वारा परक्रामित नहीं कर सकता—आदेशानुसार देय और मृतक द्वारा पृष्ठांकित किन्तु अपरिदत्त वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक को मृतक का विधिक प्रतिनिधि केवल परिदान द्वारा परक्रामित नहीं कर सकता।

58. विधि-विरुद्ध साधनों द्वारा या विधि-विरुद्ध प्रतिफलार्थ अभिप्राप्त लिखत—जब कि परक्राम्य लिखत खो गयी है या उसके किसी रचयिता, प्रतिग्रहीता या धारक से अपराध या कपट द्वारा या विधि-विरुद्ध प्रतिफल के लिये अभिप्राप्त की गयी है तब जिस व्यक्ति ने लिखत को पाया था या ऐसे अभिप्राप्त किया था उससे व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाला कोई कब्जाधारी या पृष्ठांकिती उस पर शोध्य रकम को ऐसे रचयिता, प्रतिग्रहीता या धारक से या ऐसे धारक के पूर्विक किसी भी पक्षकार से उस दशा के सिवाय प्राप्त करने का हकदार नहीं है जिसमें कि ऐसा कब्जाधारी या पृष्ठांकिती या वह कोई व्यक्ति जिससे व्युत्पन्न अधिकार से वह दावा करता है, उसका परक्राम्य लिखत है या था।

59. अनादर के या अतिशोध्य होने के पश्चात् अर्जित लिखत—परक्राम्य लिखत के उस धारक को जिसने उसे अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा उसके अनादर के पश्चात् उसकी सूचना सहित या परिपक्वता के पश्चात् अर्जित किया है, उस पर अन्य पक्षकारों के विरुद्ध केवल वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो उसके अंतरक के थे।

सौकर्य पत्र या विपत्र—परन्तु, जो कोई भी व्यक्ति सद्भावपूर्वक और प्रतिफलार्थ किसी ऐसे वचन-पत्र या विनिमय-पत्र का धारक उनकी परिपक्वता के पश्चात् हो जाता है जो प्रतिफल के बिना इस प्रयोजन से रचा, लिखा या प्रतिग्रहीत किया गया था कि उसका कोई पक्षकार उसके आधार पर धन ले सकने के लिये समर्थ हो जाये वह किसी भी पूर्विक पक्षकार से उस वचन-पत्र या विनिमय-पत्र की रकम वसूल कर सकेगा।

दृष्टांत

एक विनिमय-पत्र के प्रतिग्रहीता ने उस समय, जब कि उसने उसे प्रतिग्रहीत किया था, लेखीवाल के पास कुछ माल उस विनिमय-पत्र के संदाय के लिये साम्पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में लेखीवाल को यह शक्ति देकर निक्षिप्त कर दिया था कि यदि उस विनिमय-पत्र की परिपक्वता पर विनिमय-पत्र का संदाय न किया जाये, तो वह माल को बेच दे और उसके आगमों को विनिमय-पत्र के चुकाने में लगा दे। परिपक्वता पर विनिमय-पत्र का संदाय न किये जाने पर लेखीवाल ने माल को बेच दिया, आगमों को प्रतिधृत कर लिया

किन्तु विनिमय-पत्र **क** को पृष्ठांकित कर दिया। **क** का हक उसी आक्षेप के अध्यधीन है जिसके अध्यधीन लेखीवाल का हक है।

60. संदाय या तुष्टि होने तक लिखत परक्राम्य है—परक्राम्य लिखत तब तक परक्रामित की जा सकेगी, जब तक रचयिता, ऊपरवाल या प्रतिग्रहीता द्वारा उसका संदाय या तुष्टि परिपक्वता पर या के पश्चात् न कर दी गयी हो किन्तु ऐसे संदाय या तुष्टि के पश्चात् नहीं; परन्तु परिपक्वता के पश्चात् वह उसके रचयिता, ऊपरवाल या प्रतिग्रहीता द्वारा परक्रामित न की जा सकेगी।

अध्याय 5

उपस्थापन के विषय में

61. प्रतिग्रहण के लिये उपस्थापन—यदि दर्शनोपरान्त देय विनिमय-पत्र में उसके उपस्थापन के लिये कोई समय या स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है तो उस व्यक्ति द्वारा जो उसके प्रतिग्रहण की मांग करने का हकदार है, उसके लिखे जाने के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर और कारबार के दिन कारबार के समय में प्रतिग्रहण के लिये उसके ऊपरवाल को यदि वह युक्तियुक्त तलाश के पश्चात् पाया जा सके, उपस्थापित किया जायेगा। ऐसे उपस्थापन में व्यतिक्रम होने पर उसका कोई भी पक्षकार ऐसा व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार के प्रति उस पर दायी न होगा।

यदि ऊपरवाल युक्तियुक्त तलाश के पश्चात् न पाया जा सके तो विनिमय-पत्र अनादृत हो जाता है।

यदि विनिमय-पत्र ऊपरवाल को किसी विशिष्ट स्थान पर निर्दिष्ट है तो वह उस स्थान पर ही उपस्थापित किया जाना चाहिये और यदि उपस्थापित करने के लिये सम्यक् तारीख को युक्तियुक्त तलाश के पश्चात् वह वहां न पाया जा सके तो विनिमय-पत्र अनादृत हो जाता है।

जहां कि करार या प्रथा से ऐसा करना प्राधिकृत है वहां रजिस्ट्रीकृत चिट्ठी से डाकघर के माध्यम द्वारा उपस्थापन पर्याप्त है।

62. वचन-पत्र को दर्शन के लिये उपस्थापित करना—दर्शनोपरान्त निश्चित कालावधि पर देय वचन-पत्र उसके रचयिता के समक्ष (यदि वह युक्तियुक्त तलाश के पश्चात् पाया जा सके) उसके रचे जाने के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर उस व्यक्ति द्वारा, जो संदाय की मांग करने का हकदार है, और कारबार के दिन कारबार के समय दर्शन के लिये उपस्थापित किया जाना चाहिये। ऐसे उपस्थापन में व्यतिक्रम होने पर उसका कोई भी पक्षकार ऐसा व्यतिक्रम करने वाले व्यतिक्रम के प्रति उस पर दायी न होगा।

63. ऊपरवाल को विचार-विमर्श करने के लिये समय—यदि उस विनिमय-पत्र का ऊपरवाल, जो प्रतिग्रहण के लिये उसके समक्ष उपस्थापित किया गया है धारक से ऐसी अपेक्षा करे तो वह ऊपरवाल को यह विचार करने के लिये कि क्या वह उसे प्रतिग्रहीत करेगा अड़तालीस घण्टे का समय (लोक अवकाश दिनों का अपवर्जन करके) देगा।

64. संदाय के लिये उपस्थापन—[1][(1)] वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक क्रमशः उसके रचयिता, प्रतिग्रहीता या ऊपरवाल को एतस्मिन् पश्चात् उपबंधित तौर पर संदाय के लिये धारक द्वारा या उसकी ओर से उपस्थापित किये जाने होंगे। ऐसे उपस्थापन में व्यतिक्रम होने पर उसके अन्य पक्षकार ऐसे धारक के प्रति उस पर दायी न होंगे।

जहां कि करार या प्रथा से ऐसा करना प्राधिकृत है वहां रजिस्ट्रीकृत चिट्ठी से डाकघर के माध्यम द्वारा उपस्थापन पर्याप्त है।

---

1. 2002 का अधिनियम सं० 55 द्वारा पुनःसंख्यांकित।

अपवाद—जहां कि वचन-पत्र मांग पर देय है और विनिर्दिष्ट स्थान पर देय नहीं है वहां उसके रचयिता को भारित करने के लिये उपस्थापन आवश्यक नहीं है।

[1][(2) धारा 6 में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, जहाँ विकृत-चैक का इलेक्ट्रानिक प्रतिबिम्ब भुगतान के लिये उपस्थापित किया जाता है, वहाँ उपरवाल बैंक विकृत चैक को धारण करने वाले बैंक से लिखत के प्रत्यक्ष अभिप्राय की असलियत के बारे में किसी युक्तियुक्त सन्देह के मामले में विकृत चैक से सम्बन्धित कोई और सूचना मांगने का हकदार है और यदि सन्देह किसी कपट, कूटरचना, लिखत के विकृत करने या विनाश का सन्देह है, तो वह सत्यापन के लिये स्वयं विकृत चैक के पुनः उपस्थापन की मांग का हकदार है।

परन्तु उपरवाल बैंक द्वारा इस प्रकार मांगा गया विकृत चैक उसके द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा, यदि भुगतान तदनुसार किया जाता है।]

65. उपस्थापन के लिये समय—संदाय के लिये उपस्थापन कारबार के प्रायिक समय के दौरान में और यदि वह किसी बैंकार के यहां किया जाना है तो बैंककारी कारबार के समय के अन्दर करना होगा।

66. तारीख के पश्चात् या दर्शनोपरान्त देय लिखत के संदाय के लिए उपस्थापन—जो वचन-पत्र या विनिमय-पत्र उसमें दी हुई तारीख के पश्चात् या उसके दर्शनोपरान्त एक विनिर्दिष्ट कालावधि पर देय रचा गया है उसे परिपक्वता पर संदाय के लिये उपस्थापित करना होगा।

67. किश्तों में देय वचन-पत्र का संदाय के लिये उपस्थापन—किश्तों में देय वचन-पत्र हर एक किश्त के संदाय के लिये नियत तारीख के पश्चात् तीसरे दिन संदाय के लिये उपस्थापित करना होगा और ऐसे उपस्थापन पर असंदाय का वही प्रभाव होगा जो परिपक्वता पर वचन-पत्र के असंदाय का होता है।

68. विनिर्दिष्ट स्थान में, न कि अन्यत्र, देय लिखत के संदाय के लिये उपस्थापन—जो वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक किसी विनिर्दिष्ट स्थान में, न कि अन्यत्र देय रचित, लिखित या प्रतिग्रहीत है, उसके किसी पक्षकार को भारित करने के लिये उसे उसी स्थान में संदाय के लिये उपस्थापित करना होगा।

69. निर्दिष्ट स्थान में देय लिखत—जो वचन-पत्र या विनिमय-पत्र किसी विनिर्दिष्ट स्थान में देय रचित, लिखित या प्रतिगृहीत है उसे उसके रचयिता या लेखीवाल को भारित करने के लिये उसी स्थान में संदाय के लिये उपस्थापित करना होगा।

70. जहां कि कोई अनन्य स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है वह उपस्थापन—जो वचन-पत्र या विनिमय-पत्र धाराओं 68 और 69 में वर्णित तौर पर देय रचित नहीं है, उसे, यथास्थिति, उसके रचयिता, लेखीवाल या प्रतिग्रहीतों के कारबार के स्थान में (यदि कोई हो) या प्रायिक निवास-स्थान में संदाय के लिये उपस्थापित करना होगा।

71. जब कि रचयिता आदि के कारबार या निवास का कोई ज्ञात स्थान नहीं है तब उपस्थापन—यदि परक्राम्य लिखत के रचयिता, लेखीवाल या प्रतिगृहीता का कोई कारबार का ज्ञात स्थान या नियत निवास-स्थान नहीं है और लिखत में प्रतिग्रहणार्थ या संदायार्थ उपस्थापन के लिये कोई स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है तो ऐसा उपस्थापन स्वयं उसको किसी ऐसे स्थान में किया जा सकेगा जहां कहीं वह पाया जा सके।

72. लेखीवाल को भारित करने के लिये चैक का उपस्थापन—धारा 84 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि इसलिये कि चैक लेखीवाल को भारित करे उसे उस बैंक में, जिस पर वह लिखा गया है, इसके पूर्व उपस्थापित करना होगा कि लेखीवाल और उसके बैंकार के बीच का संबंध ऐसे परिवर्तित हो जाये कि जिससे लेखीवाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

---

1. 2002 का अधिनियम सं० 55 द्वारा अन्तःस्थापित।

73. किसी अन्य व्यक्ति को भारित करने के लिये चैक का उपस्थापन—इसलिये कि चैक लेखीवाल के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को भारित करे, ऐसे व्यक्ति को वह उसके परिदान के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर उपस्थापित करना होगा।

74. मांग पर देय लिखत का उपस्थापन—धारा 31 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि मांग पर देय परक्राम्य लिखत धारक द्वारा उसे प्राप्त करने के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर संदाय के लिये उपस्थापित करनी होगी।

75. अभिकर्ता, मृतक के विधिक प्रतिनिधि या दिवालिया के समनुदेशिती द्वारा या को उपस्थापन—प्रतिग्रहण या संदाय के लिये उपस्थापन, यथास्थिति, ऊपरवाल, रचयिता, या प्रतिगृहीता के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को या जहां कि ऊपरवाल, रचयिता या प्रतिगृहीता मर गया है वहां उसके विधिक प्रतिनिधि को, या जहां कि वह दिवालिया घोषित किया जा चुका है वहां उसके समनुदेशिती को किया जा सकेगा।

75-क. प्रतिग्रहण या संदाय के लिये उपस्थापन में विलम्ब के लिये प्रतिहेतु—प्रतिग्रहण या संदाय के लिये उपस्थापन में विलम्ब यदि धारक के नियंत्रण के परे की परिस्थितियों से हुआ है और उसके व्यतिक्रम, अवचार या उपेक्षा के कारण होने का दोष नहीं लगाया जा सकता तो वह माफी योग्य होगा। जब विलम्ब के कारण का परिविराम हो जाता है तब उपस्थापन युक्तियुक्त समय के अन्दर करना होगा।

76. उपस्थापन कब अनावश्यक होता है—निम्नलिखित दशाओं में से किसी भी दशा में संदाय के लिये उपस्थापन आवश्यक नहीं है और लिखत उस तारीख पर अनादृत हो जाती है, जो उपस्थापन के लिये नियत है, अर्थात्—

(क) यदि रचयिता, ऊपरवाल या प्रतिग्रहीता उपस्थापन साशय निवारित करता है, या उसके कारबार के स्थान में देय लिखत की दशा में, यदि वह कारबार के दिन कारबार के प्रायिक समय के दौरान में ऐसा स्थान बन्द कर देता है, या

अन्य विनिर्दिष्ट स्थान में देय लिखत की दशा में यदि न तो वह और न उसका संदाय करने के लिये प्राधिकृत कोई व्यक्ति कारबार के प्रायिक समय के दौरान में ऐसे स्थान में हाजिर रहता है, या

किसी विनिर्दिष्ट स्थान में देय लिखत न होने की दशा में यदि वह सम्यक् तलाशी के पश्चात् नहीं पाया जा सकता;

(ख) जहां तक कि किसी ऐसे पक्षकार का संबंध है, जिसे उससे भारित किया जाना ईप्सित है यदि वह अनुस्थापन की दशा में भी संदाय करने के लिये वचनबद्ध हुआ है,

(ग) जहां तक कि किसी भी पक्षकार का संबंध है, यदि वह यह ज्ञान रहते हुए कि लिखत उपस्थापित नहीं की गयी है, परिपक्वता के पश्चात्—

लिखत पर शोध्य रकम मद्धे भागत: संदाय कर देता है;

या उस पर शोध्य रकम को पूर्णत: या भागत: संदाय करने का वचन दे देता है,

या संदाय के लिये उपस्थापन में किसी व्यतिक्रम का फायदा उठाने का अपना अधिकार अन्यथा अधित्यक्त कर देता है;

(घ) जहां तक कि लेखीवाल का प्रश्न है यदि लेखीवाल को ऐसे उपस्थापन के अभाव से नुकसान नहीं पहुंच सकता।

77. संदाय के लिये उपस्थापित विनिमय पत्र से उपेक्षा बरतने के लिये बैंकार का दायित्व—जब कि किसी विनिर्दिष्ट बैंक पर देय प्रतिगृहीत विनिमय-पत्र वहां संदाय के लिये सम्यक् रूप से उपस्थापित कर

दिया गया है और अनादृत कर दिया है तब यदि बैंकार ऐसे विनिमय-पत्र को ऐसे उपेक्षापूर्ण या अनुचित तौर पर रखे, बरते या वापिस परिदत्त करे कि धारक को उससे हानि पहुंचे तो वह धारक को ऐसी हानि के लिये प्रतिकर देगा।

अध्याय 6

संदाय और ब्याज के विषय में

78. संदाय किसको किया जाना चाहिये—धारा 82 के खंड (ग) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि इस गरज से कि रचयिता या प्रतिग्रहीता को उन्मोचित किया जाये, वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक पर शोध्य रकम का संदाय लिखत के धारक को करना होगा।

79. ब्याज जब कि दर विनिर्दिष्ट है—जब कि वचन-पत्र या विनिमय-पत्र पर ब्याज विनिर्दिष्ट दर से अभिव्यक्तत: देय कर दिया गया है तब ब्याज की गणना उस पर शोध्य मूलधन की रकम पर लिखत की तारीख से ऐसी रकम से निविदत्त या आप्त किये जाने तक या ऐसी रकम की वसूली के लिये वाद की संस्थिति के पश्चात् ऐसी तारीख तक, जैसी न्यायालय निर्दिष्ट करे, उस विनिर्दिष्ट दर से की जायेगी।

80. जब कि कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं है तब ब्याज—जब कि लिखत में ब्याज की कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं है तब उस पर शोध्य रकम मद्धे ब्याज की गणना लिखत के किन्हीं पक्षकारों के बीच ब्याज संबंधी किसी करार के होते हुए भी उस तारीख से, जिसको भारित पक्षकार द्वारा उसका संदाय किया जाना चाहिये। उस तारीख तक जब उस पर शोध्य रकम निविदत्त या आप्त हो या ऐसी रकम के लिये वाद की संस्थिति के पश्चात् ऐसी तारीख तक, जैसी न्यायालय निर्दिष्ट करे, प्रतिवर्ष अट्ठारह प्रतिशत की दर से की जायेगी।

स्पष्टीकरण—जब कि भारित पक्षकार संदाय न करने से अनादृत किसी लिखत का पृष्ठांकक है तब वह ब्याज देने के लिये दायी केवल उसी समय से होगा जब कि उसे अनादर की सूचना प्राप्त होती है।

81. संदाय पर लिखत का परिदान या खो जाने की दशा में क्षतिपूर्ति—[1][(1)] वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक पर शोध्य रकम संदत्त करने का दायी और उसके धारक द्वारा संदाय के लिये अपेक्षित किया गया कोई भी व्यक्ति संदाय से पूर्व इस बात का हकदार है कि वह उसे दिखाया जाये तथा संदाय कर दिये जाने पर इस बात का हकदार है कि वह उसे परिदत्त कर दिया जाये अथवा यदि लिखत खो गई है या पेश नहीं की जा सकती तो इस बात का हकदार है कि उस लिखत के आधार पर उसके विरुद्ध किसी आगे के दावे की बाबत उसकी क्षतिपूर्ति की जाये।

[2][(2) जहाँ चैक विकृत चैक का इलेक्ट्रानिक प्रतिबिम्ब है, वहाँ भुगतान के बाद भी बैंकार, जो भुगतान प्राप्त किया था, विकृत चैक को प्रतिधारित करने का हकदार है।

(3) बैंकार द्वारा, जिसने लिखत का भुगतान किया था विकृत चैक के इलेक्ट्रानिक प्रतिबिम्ब के छपे हुए अभिलेख के नीचे जारी किया गया प्रमाणपत्र ऐसे भुगतान का सबूत होगा।]

अध्याय 7

वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चैकों पर दायित्व से उन्मोचन के विषय में

82. दायित्व से उन्मोचन—परक्राम्य लिखत के रचयिता, प्रतिग्रहीता या पृष्ठांकक का अपने-अपने दायित्व से उन्मोचन—

---

1. 2002 का अधिनियम संख्या 55 द्वारा पुनर्संख्यांकित।
2. 2002 का अधिनियम संख्या 55 द्वारा अन्त:स्थापित।

(क) **रद्दकरण द्वारा**—उसके उस धारक के प्रति, जो ऐसे प्रतिग्रहीता या पृष्ठांकक का नाम उसे उन्मोचित करने के आशय से रद्द कर देता है, और ऐसे धारक से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले सब पक्षकारों के प्रति हो जाता है;

(ख) **निर्मुक्ति द्वारा**—उसके उस धारक के प्रति, जो ऐसे रचयिता, प्रतिग्रहीता या पृष्ठांकक को अन्यथा उन्मोचित कर देता है और ऐसे उन्मोचन की सूचना के पश्चात् ऐसे धारक के अधीन हक व्युत्पन्न करने वाले सब पक्षकारों के प्रति हो जाता है;

(ग) **संदाय द्वारा**—उसमें के सब पक्षकारों के प्रति उस दशा में हो जाता है जिसमें कि वह लिखत वाहक को संदेय है, या उस पर निरंक पृष्ठांकन कर दिया गया है और ऐसे रचयिता, प्रतिग्रहीता या पृष्ठांकक ने उस पर शोध्य रकम का सम्यक्-अनुक्रम में संदाय कर दिया है।

83. ऊपरवाल को प्रतिग्रहण के लिये अड़तालीस घण्टे से अधिक समय अनुज्ञात करने से उन्मोचन—यदि विनिमय-पत्र का धारक ऊपरवाल को यह विचार करने के लिये कि वह उसे प्रतिगृहीत करेगा या नहीं लोक अवकाश दिनों को छोड़कर अड़तालीस घण्टे से अधिक अनुज्ञात कर देता है तो ऐसी अनुज्ञा से सम्मत न होने वाले सब पूर्विक पक्षकार ऐसे धारक के प्रति दायित्व से तद्द्वारा उन्मोचित हो जाते हैं।

84. जब कि चैक सम्यक् रूप से उपस्थापित नहीं किया गया और लेखीवाल को तद्द्वारा नुकसान हुआ—(1) जहां कि चैक, उसके काटे जाने से युक्तियुक्त समय के अन्दर संदाय के लिये उपस्थापित न किया जाये और जहां तक लेखीवाल या जिस व्यक्ति लेखे वह लिखा गया है उस व्यक्ति और बैंकार के बीच का संबंध है, वहां तक लेखीवाल या ऐसे व्यक्ति को उस समय, जब कि वह उपस्थापित किया जाना चाहिये था, यह अधिकार प्राप्त था कि चैक का संदाय किया जाये और वह विलम्ब के कारण वास्तव में नुकसान उठाता है वहां वह ऐसे नुकसान की मात्रा तक उन्मोचित हो जाता है, अर्थात्, उस मात्रा तक जिस तक ऐसा लेखीवाल या व्यक्ति उस रकम से अधिक के लिये बैंकार का लेनदार है जिस रकम का लेनदार वह होता यदि चैक का संदाय कर दिया गया होता।

(2) यह अवधारण करने के लिये कि युक्तियुक्त समय क्या है लिखत की प्रकृति को व्यापार और बैंकारों की प्रथा को और उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखा जायेगा।

(3) उस चैक का धारक, जिसकी बाबत ऐसा लेखीवाल या व्यक्ति ऐसे उन्मोचित हो गया है, ऐसे लेखीवाल या व्यक्ति के बदले में ऐसे बैंकार का ऐसे उन्मोचन की मात्रा तक लेनदार और उससे उस रकम को वसूल करने का हकदार होगा।

दृष्टांत

(क) क 1,000 रुपये के लिये चैक लिखता है, और जब उपस्थापित किया जाना चाहिये था उस समय बैंक में उसके संदाय के लिये उसका रुपया है। चैक उपस्थापित किये जाने से पूर्व बैंक फेल हो जाता है। लेखीवाल उन्मोचित हो जाता है किन्तु धारक चैक की रकम के लिये बैंक के विरुद्ध अपना दावा साबित कर सकता है।

(ख) क अम्बाले में एक चैक कलकत्ते के एक बैंक पर लिखता है। चैक के सम्यक्-अनुक्रम में उपस्थापित किये जाने से पूर्व बैंक फेल हो जाता है। क उन्मोचित नहीं होता क्योंकि चैक के उपस्थापित करने में किसी विलम्ब से उसे वास्तविक नुकसान नहीं उठाना पड़ा।

85. आदेशानुसार देय चैक—(1) जहां कि आदेशानुसार देय चैक पाने के द्वारा या निमित्त पृष्ठांकित होना तात्पर्यित है, वहां सम्यक्-अनुक्रम में संदाय करने से ऊपरवाल का उन्मोचन हो जाता है।

(2) जहां कि चैक का वाहक को देय होना मूलतः अभिव्यक्त है, वहां ऊपरवाल उसके वाहक को सम्यक्-अनुक्रम में संदाय द्वारा उन्मोचित हो जाता है, यद्यपि उस पर कोई पृष्ठांकन पूर्णतः या निरंक दर्शित हो और यद्यपि आगे के परक्रामण का निर्बन्धित या अपवर्जित होना ऐसे किसी भी पृष्ठांकन से तात्पर्यित है।

85-क. आदेशानुसार देय ड्राफ्ट जो बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा पर लिखे हैं—जहां कि कोई ड्राफ्ट अर्थात् धन संदत्त करने का आदेश, जो कि बैंक के एक कार्यालय द्वारा उसी बैंक के दूसरे कार्यालय पर मांग पर आदेशानुसार देय धन की राशि के लिये लिखा गया है, पाने वाले के द्वारा या निमित्त पृष्ठांकित होना तात्पर्यित है, वहां बैंक सम्यक्-अनुक्रम में संदाय द्वारा उन्मोचित हो जाता है।

86. सम्मत न होने वाले पक्षकार विशेषित या सीमित प्रतिग्रहण द्वारा उन्मोचित हो जाते हैं—यदि विनिमय-पत्र का धारक ऐसे प्रतिग्रहण से उपमत हो जाता है जो विशेषित है, या विनिमय-पत्र में वर्णित राशि के एक भाग तक सीमित है या जो संदाय के लिये कोई भिन्न स्थान या समय प्रतिस्थापित करता है या जो उस दशा में जहां कि ऊपरवाल भागीदार नहीं है, उन सब के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है तो जब तक कि वे सब पूर्विक पक्षकार, जिनकी ऐसे प्रतिग्रहण के लिये सम्मति अभिप्राप्त नहीं की गयी है, धारक द्वारा सूचना दी जाने पर ऐसे प्रतिग्रहण के लिये अपनी अनुमति नहीं दे देते, वे जहां तक कि धारक और उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वालों का संबंध है, उन्मोचित हो जाते हैं।

स्पष्टीकरण—प्रतिग्रहण वहां विशेषित होता है—

(क) जहां कि वह सशर्त है अर्थात् यह घोषित करता है कि संदाय उसमें कथित घटना के होने पर निर्भर करेगा,

(ख) जहां कि वह संदत्त की जाने के लिये आदिष्ट राशि के केवल भाग के संदाय का वचन देता है,

(ग) जहां कि आदेश में संदाय के लिये कोई स्थान विनिर्दिष्ट न होते हुए वह विनिर्दिष्ट स्थान में, न कि अन्यथा या अन्यत्र, संदाय का वचन देता है अथवा जहां कि आदेश में संदाय का स्थान विनिर्दिष्ट होते हुए वह किसी दूसरे स्थान में, न कि अन्यथा या अन्यत्र, संदाय का वचन देता है,

(घ) जहां कि वह उस समय से भिन्न समय पर संदाय का वचन देता है जिस समय पर आदेश के अधीन वह वैधरूप से शोध्य होगा।

87. तात्विक परिवर्तन का प्रभाव—परक्राम्य लिखत में का कोई भी तात्विक परिवर्तन उसे किसी के विरुद्ध भी, जो कि ऐसे परिवर्तन के समय उसका पक्षकार और उसके प्रति सम्मत नहीं हुआ है, तब के सिवाय शून्य कर देता है जब कि वह परिवर्तन मूल पक्षकारों के सामान्य आशय को पूरा करने के लिये किया गया हो,

पृष्ठांकिती द्वारा परिवर्तन—और यदि ऐसा कोई परिवर्तन पृष्ठांकिती द्वारा किया गया है, तो वह उसके प्रतिफल की बाबत उसके सब दायित्व से उसके पृष्ठांकक को उन्मोचित कर देता है।

इस धारा के उपबंध धारायें 20, 49, 86 और 125 के उपबंधों के अध्यधीन हैं।

88. पूर्विक परिवर्तन के होते हुए भी प्रतिग्रहीता या पृष्ठांकक आबद्ध रहता है—लिखत में किसी पूर्विक परिवर्तन के होते हुए भी परक्राम्य लिखत का प्रतिग्रहीता या पृष्ठांकक अपने प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन से आबद्ध रहता है।

89. जिस लिखत पर परिवर्तन दृश्यमान नहीं है उसका संदाय—[1][(1)] जहां कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक तात्विक रूप में परिवर्तित किया गया है किन्तु यह प्रतीत नहीं होता है कि वह ऐसे परिवर्तित किया गया है,

---

1. 2002 का अधिनियम संख्या 55 द्वारा पुनर्संख्यांकित।

या जहां कि ऐसा चैक जो कि उपस्थापन के समय ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह क्रास किया हुआ है अथवा उस पर क्रासिंग थी जो मिटा दी गयी है, संदाय के लिये उपस्थापित किया जाता है। वहां संदाय के लिये दायी व्यक्ति और या बैंकार द्वारा उसका संदाय और संदाय के समय उसके प्रकट शब्दों के अनुकूल संदाय और सम्यक्-अनुक्रम में अन्यथा उसके संदाय से ऐसा व्यक्ति या बैंकार उसके सब दायित्व से उन्मोचित हो जायेगा और ऐसा संदाय लिखत के परिवर्तित किये जाने या चैक के क्रास किये जाने के कारण प्रश्नगत न किया जायेगा।

[1][(2) जहाँ चैक विकृत चैक का इलेक्ट्रानिक प्रतिबिम्ब है, वहाँ ऐसे इलेक्ट्रानिक प्रतिबिम्ब और विकृत चैक के प्रत्यक्ष अभिप्राय में कोई अन्तर तात्विक परिवर्तन होगा और बैंक या समाशोधन गृह का, यथास्थिति, प्रतिबिम्ब को विकृत या प्रतिप्रेषित करते समय विकृत चैक के इलेक्ट्रानिक प्रतिबिम्ब के प्रत्यक्ष अभिप्राय की यथार्थता को सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा।

(3) कोई बैंक या समाशोधन गृह, जो विकृत चैक के सम्प्रेषित इलेक्ट्रानिक प्रतिबिम्ब को प्राप्त करता है, पक्षकार से, जो उसे प्रतिबिम्ब सम्प्रेषित किया है, यह सत्यापित करेगा कि उसको इस प्रकार सम्प्रेषित या उसके द्वारा प्राप्त प्रतिबिम्ब यथावत रूप से वही है।]

90. प्रतिग्रहीता के हाथों में के विनिमय-पत्र पर कार्यवाही करने के अधिकारों का निर्वापन—जो विनिमय-पत्र परक्रामित किया गया है, परिपक्वता के समय या पश्चात् यदि वह प्रतिग्रहीता द्वारा स्वयं अपने अधिकार से धारित है तो उस पर कार्यवाही करने के सब अधिकार निर्वापित हो जाते हैं।

अध्याय 8

अनादर की सूचना के विषय में

91. अप्रतिग्रहण द्वारा अनादर—विनिमय-पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा अनादृत हुआ तब कहा जाता है जब उस विनिमय-पत्र के प्रतिग्रहण के लिये सम्यक् रूप से अपेक्षित किये जाने पर ऊपरवाल या कई ऊपरवालों में से, जो भागीदार नहीं हैं, एक प्रतिग्रहण में व्यतिक्रम करता है या जहां कि उपस्थापन करने से अभिमुक्ति दे दी गयी हो और विनिमय-पत्र प्रतिगृहीत न किया जाये।

जहां कि ऊपरवाल संविदा करने के लिये अक्षम है या प्रतिग्रहण विशेषित है वहां विनिमय-पत्र अनादृत कर दिया गया माना जा सकेगा।

92. असंदाय द्वारा अनादर—वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक द्वारा अनादृत हुआ तब कहा जाता है जब कि ऊपरवाल, वचन-पत्र का रचयिता, विनिमय-पत्र का प्रतिग्रहीता या चैक का ऊपरवाल उसका संदाय करने के लिये सम्यक् रूप से अपेक्षित किये जाने पर संदाय में व्यतिक्रम करता है।

93. सूचना किसके द्वारा और किसको दी जानी चाहिये—जब कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादृत हो गया है तब उसके धारक को या उसके किसी पक्षकार को जो उस पर दायी बना रहता है, उन सब अन्य पक्षकारों को, जिन्हें कि धारक उस पर अलग-अलग दायी बनाना चाहता है और उन कई पक्षकारों में से किसी एक को, जिन्हें कि वह उन पर संयुक्तत: दायी बनाना चाहता है, यह सूचना देगा कि लिखत ऐसे अनादृत कर दी गयी है।

इस धारा कि कोई भी बात यह आवश्यक नहीं करती है कि अनादृत वचन-पत्र के रचयिता को या अनादृत विनिमय-पत्र या चैक के ऊपरवाल या प्रतिग्रहीता को सूचना दी जाये।

---

1. 2002 का अधिनियम संख्या 55 द्वारा अन्त:स्थापित।

94. वह रीति जिसमें सूचना दी जा सके—अनादर की सूचना उस व्यक्ति के, जिसको उसका दिया जाना अपेक्षित है, सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को या जहां कि वह व्यक्ति मर गया है वहां उसके विधिक प्रतिनिधि को या जहां कि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है वहां उसके समनुदेशिती को दी जा सकेगी; वह मौखिक या लिखित हो सकेगी; यदि वह लिखित है तो डाक द्वारा भेजी जा सकेगी और किसी भी प्ररूप में हो सकेगी, किन्तु जिस पक्षकार को वह दी जाये, उसकी या तो अभिव्यक्त शब्दों में या युक्तियुक्त अर्थान्वयन से यह जानकारी देगी कि लिखत अनादृत हो गयी है और किस प्रकार अनादृत हो गयी है और यह कि वह उस पर दायी ठहराया जायेगा और वह अनादर के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर उस पक्षकार के, जिसके लिये कि वह आशयित है, कारबार के स्थान में या (उस दशा में, जिसमें ऐसे पक्षकार का कोई कारबार का स्थान नहीं है) उसके निवास-स्थान पर देनी होगी।

यदि सूचना डाक द्वारा ठीक पते पर भेजी जाती है और गलत जगह चली जाती है तो ऐसी गलत जगह चली जाने से वह सूचना अविधिमान्य नहीं हो जाती।

95. अनादर की सूचना पाने वाला पक्षकार उसे पारेषित करेगा—अनादर की सूचना पाने वाले किसी भी पक्षकार को इस गरज से कि वह किसी पूर्विक पक्षकार को अपने प्रति दायी करे अनादर की सूचना ऐसे पक्षकार को युक्तियुक्त समय के अन्दर उस दशा के सिवाय देनी होगी जिसमें कि ऐसे पक्षकार को धारा 93 में उपबंधित सम्यक् सूचना अन्यथा प्राप्त हो गयी है।

96. उपस्थापन के लिये अभिकर्ता—जबकि लिखत उपस्थापन के लिये अभिकर्ता के पास निक्षिप्त कर दी गयी है तब अभिकर्ता अपने मालिक को सूचना देने के लिये उतने ही समय का हकदार है मानो वह अनादर की सूचना देने वाला धारक हो और मालिक अनादर की सूचना देने के लिये आगे उतनी ही कालावधि का हकदार हो जाता है।

97. जब कि वह पक्षकार जिसे सूचना दी गयी है, मर गया है—जब कि वह पक्षकार, जिसे कि अनादर की सूचना भेजी गयी है, मर गया है, किन्तु सूचना भेजने वाले पक्षकार को उसकी मृत्यु की जानकारी नहीं है तब वह सूचना पर्याप्त है।

98. अनादर की सूचना कब अनावश्यक है—अनादर की कोई भी सूचना—

(क) तब आवश्यक नहीं है जब कि उसके हकदार पक्षकार को उसके दिये जाने से अभिमुक्ति दे दी है;

(ख) लेखीवाल को भारित करने के लिये तब आवश्यक नहीं है, जब कि उसने संदाय प्रत्यादिष्ट कर दिया है;

(ग) तब आवश्यक नहीं है जब कि भारित पक्षकार को कोई नुकसान सूचना के अभाव से नहीं हो सकता था;

(घ) तब आवश्यक नहीं है जब कि सूचना का हकदार पक्षकार सम्यक् तलाशी के पश्चात् नहीं पाया जा सकता या सूचना देने के लिये आबद्ध पक्षकार अपनी किसी त्रुटि के बिना उसे देने में अन्य कारणवश असमर्थ है;

(ङ) लेखीवालों को भारित करने के लिये तब आवश्यक नहीं है जब कि प्रतिग्रहीता उसका लेखीवाल भी है;

(च) उस वचन-पत्र के बारे में आवश्यक नहीं है, जो परक्राम्य नहीं है;

(छ) तब आवश्यक नहीं है जब कि सूचना का हकदार पक्षकार लिखत पर शोध्य रकम देने का अशर्त वचन तथ्यों को जानते हुए दे देता है।

अध्याय 9

टिप्पण और प्रसाक्ष्य के संबंध में

99. टिप्पण—जब कि वचन-पत्र या विनिमय-पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा या असंदाय द्वारा अनादृत हो गया है तब धारक ऐसे अनादर का टिप्पण नोटरी पब्लिक से ऐसी लिखत पर या संलग्न कागज पर या भागत: एक पर और भागत: दूसरे पर करवा सकेगा।

ऐसा टिप्पण अनादर के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर किया जाना चाहिये और उसमें अनादर की तारीख, ऐसे अनादर के लिये दिया गया कारण, यदि कोई हो, या यदि लिखत अभिव्यक्तत: अनादृत नहीं की गयी है तो वह कारण, जिसके लिये धारक से अनादृत मानता है, और नोटरी पब्लिक के प्रभार विनिर्दिष्ट किये जाने चाहिये।

100. प्रसाक्ष्य—जब कि वचन-पत्र या विनिमय-पत्र अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादृत हो गया है तब धारक ऐसे अनादर को नोटरी पब्लिक द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर टिप्पणित और प्रमाणित करा सकेगा। ऐसा प्रमाण प्रसाक्ष्य कहलाता है।

बेहतर प्रतिभूति के लिये प्रसाक्ष्य—जब कि विनिमय-पत्र का प्रतिग्रहीता दिवालिया हो गया है या विनिमय-पत्र की परिपक्वता से पूर्व उसका प्रत्यय खुले आम अधिक्षेपित किया गया है तब धारक प्रतिग्रहीता से बेहतर प्रतिभूति की मांग नोटरी पब्लिक से युक्तियुक्त समय के अन्दर करवा सकेगा और प्रतिभूति दिये जाने से इन्कार किये जाने पर ऐसे तथ्यों को युक्तियुक्त समय के भीतर पूर्वोक्त जैसे टिप्पणित और प्रमाणित करवा सकेगा। ऐसा प्रमाण बेहतर प्रतिभूति के लिये प्रसाक्ष्य कहलाता है।

101. प्रसाक्ष्य की अन्तर्वस्तुएं—धारा 100 के अधीन प्रसाक्ष्य में अन्तर्विष्ट होने चाहिये—

(क) या तो स्वयं लिखत या लिखत की और जिसके ऊपर लिखी या मुद्रित हर बात की अक्षरश: अनुलिपि;

(ख) उस व्यक्ति का नाम जिसके लिये और जिसके विरुद्ध लिखत प्रसाक्ष्यित की गयी है;

(ग) यह कथन कि, यथास्थिति, संदाय या प्रतिग्रहण या बेहतर प्रतिभूति की मांग नोटरी पब्लिक द्वारा ऐसे व्यक्ति से की गयी है; यदि उस व्यक्ति का कोई उत्तर है तो उस उत्तर के शब्द या यह कथन कि उसमें कोई उत्तर नहीं दिया था वह पाया नहीं जा सका;

(घ) जब कि वचन-पत्र या विनिमय-पत्र अनादृत किया गया है तब अनादर का स्थान और समय और जब कि बेहतर प्रतिभूति देने से इन्कार किया गया है तब इन्कार का स्थान और समय;

(ङ) प्रसाक्ष्य करने वाले नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर;

(च) आदरणार्थ प्रतिग्रहण या आदरणार्थ संदाय की दशा में उस व्यक्ति का नाम, जिस द्वारा, उस व्यक्ति का नाम जिसके लिये, और वह रीति, जिससे ऐसा प्रतिग्रहण या संदाय प्रस्थापित किया गया था और दिया गया था।

नोटरी पब्लिक इस धारा के खंड (ग) में वर्णित मांग या तो स्वयं या अपने लिपिक द्वारा या, जहां कि करार या प्रथा से यह प्राधिकृत है वहां, रजिस्ट्रीकृत चिट्ठी द्वारा कर सकेगा।

102. प्रसाक्ष्य की सूचना—जब कि वचन-पत्र या विनिमय-पत्र का प्रसाक्ष्यित कराया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है तब ऐसे प्रसाक्ष्य की सूचना उसी रीति में और उन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनादर की सूचना के बदले में देनी होगी किन्तु वह सूचना उस नोटरी पब्लिक द्वारा दी जा सकेगी जो प्रसाक्ष्य करता है।

103. अप्रतिग्रहण द्वारा अनादर के पश्चात् असंदाय के लिये प्रसाक्ष्य—वे सब विनिमय-पत्र, जो ऊपरवाल के निवास-स्थान के तौर पर वर्णित स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान में देय लिखे गये हैं, और जो अप्रतिग्रहण द्वारा अनादृत हो गये हैं, ऊपरवाल को आगे कोई और उपस्थापन के बिना उस स्थान में, जो संदाय के लिये विनिर्दिष्ट है, असंदाय के लिये प्रसाक्ष्यित किये जा सकेंगे यदि उनका संदाय परिपक्वता के पूर्व या परिपक्वता पर न कर दिया गया हो।

104. विदेशी विनिमय-पत्रों का प्रसाक्ष्य—विदेशी विनिमय-पत्र उस दशा में अनादर के लिये प्रसाक्ष्यिक होंगे जिसमें कि ऐसा प्रसाक्ष्य उस स्थान की विधि द्वारा अपेक्षित है, जहां वे लिखे गये हैं।

104-क. टिप्पण कब प्रसाक्ष्य के समतुल्य होता है—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये जहां कि विनिमय-पत्र या वचन-पत्र के लिये यह अपेक्षित है कि वह एक विनिर्दिष्ट समय के अन्दर या आगे कोई और कार्यवाही की जाने से पूर्व प्रसाक्ष्यित कराया जाये वहां यह पर्याप्त है कि वह विनिमय-पत्र विनिर्दिष्ट समय के अवसान से पूर्व या कार्यवाही करने से पूर्व प्रसाक्ष्य के लिये टिप्पणित कर दिया जाये और तत्पश्चात्, किसी भी समय प्ररूपित प्रसाक्ष्य टिप्पण की तारीख को किये गये के तौर पर पूरा किया जा सकेगा।

अध्याय 10

युक्तियुक्त समय के विषय में

105. युक्तियुक्त समय—प्रतिग्रहण या संदाय के लिये उपस्थापन के लिये, अनादर की सूचना देने के लिये और टिप्पण के लिये युक्तियुक्त समय कौन सा है यह अवधारण करने में लिखत की प्रकृति और वैसी ही लिखतों के बारे में व्यवहार की प्रायिक चर्या को ध्यान में रखा जायेगा, और ऐसे समय की गणना करने में लोक अवकाश दिनों को अपवर्जित किया जायेगा।

106. अनादर की सूचना देने का युक्तियुक्त समय—यदि धारक और वह पक्षकार, जिसे अनादर की सूचना दी जाती है, यथास्थिति, विभिन्न स्थानों में कारबार करते हों या रहते हों तो यदि ऐसी सूचना अगली डाक से या अनादर के दिन के पश्चात् अगले दिन भेज दी गयी हो तो वह युक्तियुक्त समय के अन्दर दी गयी है।

यदि उक्त पक्षकार एक ही स्थान में कारबार करते हों या रहते हों तो यदि ऐसी सूचना इतने समय में भेज दी गयी हो कि वह अनादर के दिन के पश्चात् अगले दिन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाये तो वह युक्तियुक्त समय के अन्दर दी गयी है।

107. ऐसी सूचना के पारेषण के लिये युक्तियुक्त समय—अनादर की सूचना पाने वाला जो पक्षकार किसी पूर्विक पक्षकार के विरुद्ध अपने अधिकार को प्रवृत्त करना चाहता है, यदि उसने उसकी प्राप्ति के पश्चात् उतने ही समय के अन्दर उसे पारेषित कर दिया हो जितना सूचना देने के लिये उसे मिलता, यदि वह धारक होता, तो उसने सूचना युक्तियुक्त समय के अन्दर पारेषित कर दी है।

अध्याय 11

आदरणार्थ प्रतिग्रहण और संदाय के विषय में तथा आवश्यकता की दशा में निर्देशन के विषय में

108. आदरणार्थ प्रतिग्रहण—जबकि विनिमय-पत्र अप्रतिग्रहण या बेहतर प्रतिभूति के लिये टिप्पणित या प्रसाक्ष्यित कर दिया गया है तब ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो उस पर पहले से दायी पक्षकार नहीं है, विनिमय-पत्र पर लेख द्वारा उसे धारक की सम्मति से उसके किसी भी पक्षकार के आदरणार्थ प्रतिगृहीत कर सकेगा।

109. आदरणार्थ प्रतिग्रहण कैसे करना चाहिये—जो व्यक्ति आदरणार्थ प्रतिग्रहण करना चाहता है उसे विनिमय-पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके लिखित रूप में घोषणा करनी होगी कि वह प्रसाक्ष्यिक विनिमय-पत्र का प्रतिग्रहण लेखीवाल के या किसी विशिष्ट पृष्ठांकक के, जिसका वह नाम दे, आदरणार्थ या असाधारणत: आदरणार्थ प्रसाक्ष्याधीन करता है।

110. यह विनिर्दिष्ट किये बिना कि प्रतिग्रहण किसके आदरणार्थ किया गया है, प्रतिग्रहण—जहां कि प्रतिग्रहण यह अभिव्यक्त नहीं करता कि वह किसके आदरणार्थ किया गया है, वहां वह लेखीवाल के आदरणार्थ किया गया समझा जायेगा।

111. आदरणार्थ प्रतिग्रहीता का दायित्व—आदरणार्थ प्रतिग्रहीता उन सब पक्षकारों के प्रति, जो उस पक्षकार के पश्चातवर्ती हैं जिसके आदरणार्थ उसने उसे प्रतिगृहीत किया है, अपने को इस बात के लिये आबद्ध करता है कि यदि ऊपरवाल विनिमय-पत्र की रकम का संदाय न करे तो वह उसका संदाय करेगा; और ऐसा पक्षकार और उससे पूर्विक सब पक्षकार उसे उस सब हानि या नुकसान के लिये, जो आदरणार्थ प्रतिग्रहीता ने वैसे प्रतिग्रहण के परिणामस्वरूप उठाया है अपने क्रमिक हैसियतों में प्रतिकर देने के दायी हैं।

किन्तु आदरणार्थ प्रतिग्रहीता विनिमय-पत्र के धारक के प्रति तब के सिवाय दायी न होगा जबकि विनिमय-पत्र का उपस्थापन या उस दशा में, जिसमें कि प्रतिग्रहीता ने विनिमय-पत्र पर जो पता दिया है वह स्थान उस स्थान से भिन्न है जहां कि विनिमय-पत्र देय होना रचित है विनिमय-पत्र का उपस्थापन के लिये अग्रेषण उसकी परिपक्वता के दिन के पश्चात् के अगले दिन से परवर्ती न होने वाले दिन कर दिया जाता है।

112. आदरणार्थ प्रतिग्रहीता कब भारित किया जा सकेगा—आदरणार्थ प्रतिग्रहीता भारित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि विनिमय-पत्र उसकी परिपक्वता पर संदाय के लिये ऊपरवाल को उपस्थापित न किया गया हो और तद्द्वारा अनादृत न कर दिया गया हो और ऐसे अनादर के लिये टिप्पणित या प्रसाक्ष्यित न किया गया हो।

113. आदरणार्थ संदाय—जबकि विनिमय-पत्र असंदाय के लिये टिप्पणित या प्रसाक्ष्यित किया जा चुका है, तब कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी पक्षकार के आदरणार्थ उसका संदाय कर सकेगा जो उसका संदाय करने का दायी है, परन्तु यह तब जब कि ऐसा संदाय करने वाले व्यक्ति ने या तन्निमित्त उसके अभिकर्ता ने नोटरी पब्लिक के समक्ष उस पक्षकार की पूर्व में ही घोषणा कर दी हो जिसके आदरणार्थ वह संदाय करता है और ऐसी घोषणा उस नोटरी पब्लिक द्वारा अभिलिखित कर दी गयी हो।

114. आदरणार्थ संदाय करने वाले का अधिकार—ऐसे संदाय करने वाला कोई भी व्यक्ति विनिमय-पत्र में उन सब अधिकारों का हकदार है जो ऐसे संदाय के समय धारक के हैं और उस पक्षकार से, जिसके आदरणार्थ उसने संदाय किया है, इस भांति संदत्त सब राशियों को उन पर ब्याज सहित और ऐसा संदाय करने में समुचित रूप से उपगत सब व्ययों सहित वसूल कर सकेगा।

115. जिकरीवाल—जहां कि विनिमय-पत्र में या उस पर के किसी पृष्ठांकन में जिकरीवाल नामित है वहां जब तक विनिमय-पत्र ऐसे जिकरीवाल द्वारा अनादृत न कर दिया गया हो वह अनादृत नहीं होता।

116. बिना प्रसाक्ष्य के प्रतिग्रहण और संदाय—जिकरीवाल पूर्व प्रसाक्ष्य के बिना विनिमय-पत्र का प्रतिग्रहण और संदाय कर सकेगा।

अध्याय 12

प्रतिकर के विषय में

117. प्रतिकर के बारे में नियम—धारक या किसी पृष्ठांकिती के प्रति दायित्वाधीन किसी भी पक्षकार द्वारा वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक का अनादर किये जाने की दशा में देय प्रतिकर निम्नलिखित नियमों द्वारा अवधारित किया जायेगा—

(क) धारक लिखत पर शोध्य रकम, उसे उपस्थापित करने, और टिप्पणित और प्रसाक्ष्यित कराने में उचित तौर पर उपगत व्ययों सहित पाने का हकदार है;

(ख) जबकि भारित व्यक्ति उस स्थान से भिन्न स्थान में रहता है जिसमें कि लिखत देय थी तब धारक ऐसी रकम दोनों स्थानों के बीच विनिमय की चालू दर पर पाने का हकदार है;

(ग) जिस पृष्ठांकक ने दायित्वाधीन होते हुए उस पर शोध्य रकम का संदाय किया है वह ऐसी संदत्त रकम संदाय की तारीख से उसके निविदान या आपन की तारीख तक अट्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित तथा अनादर और संदाय के कारण हुए सब व्ययों सहित पाने का हकदार है;

(घ) जब कि भारित व्यक्ति और ऐसा पृष्ठांकक विभिन्न स्थानों में निवास करते हैं तब पृष्ठांकक ऐसी रकम दोनों स्थानों के बीच विनिमय की चालू दर पाने का हकदार है;

(ङ) प्रतिकर का हकदार पक्षकार अपने को देय प्रतिकर के दायित्वाधीन पक्षकार पर, दर्शन या मांग पर संदेय विनिमय-पत्र अपने द्वारा उचित तौर पर उपगत सब व्ययों सहित अपने को शोध्य रकम के लिये लिख सकेगा। ऐसे विनिमय-पत्र के साथ अनादृत लिखत और उसका प्रसाक्ष्य (यदि कोई हो) होना चाहिये। यदि ऐसा विनिमय-पत्र अनादृत किया जाता है तो उसका अनादर करने वाला पक्षकार उसके लिये प्रतिकर उसी प्रकार से देने के लिये दायित्वाधीन है जैसा कि वह मूल विनिमय-पत्र की दशा में होता है।

अध्याय 13

साक्ष्य के विशेष नियम

118. परक्राम्य लिखत के बारे में उपधारणायें—जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, निम्नलिखित उपधारणायें की जायेंगी—

(क) **प्रतिफल के विषय में**—यह कि हर परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गयी थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गयी थी;

(ख) **तारीख के बारे में**—यह कि ऐसी परक्राम्य लिखत जिस पर तारीख पड़ी है, ऐसी तारीख को रचित या लिखी गयी थी;

(ग) **प्रतिग्रहण के समय के बारे में**—यह कि हर प्रतिगृहीत विनिमय-पत्र उसकी तारीख के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर और उसकी परिपक्वता के पूर्व प्रतिगृहीत किया गया था;

(घ) **अन्तरण के समय के बारे में**—यह कि परक्राम्य लिखत का हर अन्तरण उसकी परिपक्वता के पूर्व किया गया था;

(ङ) **पृष्ठांकनों के क्रम के बारे में**—यह कि परक्राम्य लिखत पर विद्यमान पृष्ठांकन उस क्रम में किये गये थे जिसमें वे उस पर विद्यमान हैं;

(च) **स्टाम्प के बारे में**—यह कि खोया गया वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक सम्यक् रूप से स्टाम्पित था;

(छ) **यह कि धारक सम्यक्-अनुक्रम-धारक है**—यह कि परक्राम्य लिखत का धारक सम्यक्-अनुक्रम-धारक है,

परन्तु जहां कि लिखत उसके विधिपूर्ण स्वामी से या उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा रखने वाले किसी व्यक्ति से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गयी है अथवा उसके रचयिता या प्रतिग्रहीता से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त या विधिविरुद्ध प्रतिफल के लिये अभिप्राप्त की गयी है वहां यह साबित करने का भार कि धारक सम्यक्-अनुक्रम-धारक है, उस पर है।

119. प्रसाक्ष्य के साबित होने पर उपधारणा—उस लिखत के आधार पर जो अनादृत कर दी गयी है, बाद में न्यायालय प्रसाक्ष्य के साबित हो जाने पर अनादर के तथ्य की उपधारणा करेगा यदि और जब तक कि ऐसा तथ्य नासाबित नहीं कर दिया जाता।

120. लिखत की मूल विधिमान्यता का प्रत्याख्यान करने के विरुद्ध विबन्ध—वचन-पत्र का कोई भी रचयिता और विनिमय-पत्र या चैक का कोई भी लेखीवाल और लेखीवाल के आदरणार्थ विनिमय-पत्र का कोई भी प्रतिग्रहीता सम्यक्-अनुक्रम-धारक द्वारा उसके आधार पर किये गये वाद में लिखत की, जैसी कि वह मूलत: रची या लिखी गयी थी, विधिमान्यता का प्रत्याख्यान करने के लिये अनुज्ञात न होगा।

121. पाने वाले की पृष्ठांकन की सामर्थ्य का प्रत्याख्यान करने के विरुद्ध विबन्ध—वचन-पत्र का कोई भी रचयिता और आदेशानुसार देय विनिमय-पत्र का कोई प्रतिग्रहीता सम्यक्-अनुक्रम-धारक द्वारा उसके आधार पर किये गये वाद में उस वचन-पत्र या विनिमय-पत्र की तारीख पर उसे पृष्ठांकित करने की पाने वाले की सामर्थ्य का प्रत्याख्यान करने के लिये अनुज्ञात न होगा।

122. पूर्विक पक्षकार का हस्ताक्षर या सामर्थ्य का प्रत्याख्यान करने के विरुद्ध विबन्ध—परक्राम्य लिखत का कोई भी पृष्ठांकक किसी पश्चातवर्ती धारक द्वारा उसके आधार पर किये गये वाद में उस लिखत के किसी भी पूर्विक पक्षकार के हस्ताक्षर या उसकी संविदा करने की सामर्थ्य का प्रत्याख्यान करने के लिये अनुज्ञात न होगा।

अध्याय 14

क्रास चैकों के विषय में

123. साधारणत: क्रास किया हुआ चैक—जहां कि चैक पर उसके मुख भाग को काटती हुई दो समानान्तर आड़ी रेखाओं के बीच "और कम्पनी" शब्द या उनका कोई संक्षेपाक्षर या केवल दो समानान्तर आड़ी रेखाएं "परक्राम्य नहीं है" शब्दों के सहित या बिना बढ़ा दिये गये हैं वहां ऐसा बढ़ाना क्रास करना समझा जायेगा और वह चैक साधारणत: क्रास किया हुआ समझा जायेगा।

124. विशेषत: क्रास किया हुआ चैक—जहां कि चैक पर उसके मुख भाग को काटते हुए बैंकार का नाम "परक्राम्य नहीं है" शब्दों के सहित या बिना बढ़ा दिया गया है वहां ऐसा बढ़ाना क्रास करना समझा जायेगा और यह समझा जायेगा कि वह चैक विशेषत: क्रास किया गया है और उस बैंकार के पक्ष में क्रास किया गया है।

125. चैक काटने के पश्चात् उसे क्रास करना—जहां कि चैक क्रास किया हुआ नहीं है वहां धारक उसे साधारणत: या विशेषत: क्रास कर सकेगा।

जहां कि चैक साधारणत: क्रास किया हुआ है वहां धारक उसे विशेषत: क्रास कर सकेगा।

जहां कि चैक साधारण या विशेषत: क्रास किया हुआ है वहां धारक उसमें "परक्राम्य नहीं है" शब्द बढ़ा सकेगा।

जहां कि चैक विशेषत: क्रास किया हुआ है वहां वह बैंकार जिसके पक्ष में वह क्रास किया हुआ है, उसे संग्रह करने के लिये अपने अभिकर्ता के रूप में दूसरे बैंकार के पक्ष में पुन: विशेषत: क्रास कर सकेगा।

126. साधारणत: क्रास किये हुए चैक का संदाय—जहां कि चैक साधारणत: क्रास किया हुआ है वहां वह बैंकार, जिस पर वह लिखा हुआ है, उसका संदाय किसी बैंकार को करने से अन्यथा न करेगा।

विशेषतः क्रास किये हुए चैक का संदाय—जहां कि चैक विशेषतः क्रास हुआ है वहां वह बैंकार, जिस पर वह लिखा गया है उसका संदाय उस बैंकार को जिसके पक्ष में वह क्रास किया हुआ है, या संग्रह करने के लिये उसके अभिकर्ता को करने से अन्यथा न करेगा।

127. एक से अधिक बार विशेषतः क्रास किये गये चैक का संदाय—जहां कि चैक एक से अधिक बैंकारों के पक्ष में विशेषतः क्रास किया गया है वहां तब के सिवाय जब कि वह संग्रह करने के प्रयोजन के लिये अभिकर्ता को क्रास किया गया है, वह बैंकार, जिस पर वह लिखा गया है, उसका संदाय करने से इन्कार करेगा।

128. क्रास चैक का सम्यक् अनुक्रम में संदाय—जहां कि उस बैंकार ने, जिस पर क्रास चैक लिखा गया है, उसका सम्यक् अनुक्रम में संदाय कर दिया है वहां चैक का संदाय करने वाला बैंकार और (ऐसा चैक पाने वाले के हाथ में आ जाने की दशा में) उसका लेखीवाल क्रमशः उन्हीं अधिकारों के हकदार होंगे और सभी पहलुओं से उसी स्थिति में रख दिये जायेंगे जिनके वह क्रमशः हकदार होते और रखे गये होते यदि चैक की रकम चैक के सही स्वामी को दे दी गयी होती और उस द्वारा प्राप्त कर ली गयी होती।

129. क्रास चैक का सम्यक्-अनुक्रम के बाहर संदाय—कोई भी बैंकार जो साधारणतः क्रास किये गये चैक का संदाय किसी बैंकार को करने से अन्यथा करता है या विशेषतः क्रास किये हुए चैक का संदाय उस बैंकार को, जिसके पक्ष में क्रास किया गया है, या संग्रहण करने के लिये उसके अभिकर्ता को, जो स्वयं बैंकार है, करने से अन्यथा करता है, वह चैक के सही स्वामी के प्रति उस हानि के लिये दायी होगा जो ऐसा स्वामी बैंक का संदाय ऐसे किये जाने के कारण उठाये।

130. "परक्राम्य नहीं है" यह शब्द वाला चैक—साधारणतः या विशेषतः क्रास किये हुए ऐसे चैक को, जिस पर "परक्राम्य नहीं है" शब्द लिखे हैं, लेने वाला व्यक्ति उस चैक पर उससे बेहतर हक न रखेगा और न देने के लिये समर्थ होगा जैसा उस व्यक्ति का था जिससे उसने उसे लिया है।

131. चैक का संदाय प्राप्त करने वाले बैंकार का अदायित्व—जिस बैंकार ने अपने पक्ष में साधारणतः या विशेषतः क्रास किये हुए चैक का संदाय अपने व्यवहारी लेखे सद्भावपूर्वक और उपेक्षा बिना प्राप्त किया है वह बैंकार उस चैक पर हक के त्रुटिपूर्ण साबित होने की दशा में सही स्वामी के प्रति कोई दायित्व ऐसा संदाय प्राप्त करने के कारण ही उपगत न करेगा।

[1][**स्पष्टीकरण I**—बैंकार क्रास चैक का संदाय अपने किसी व्यवहारी लेखे इस धारा के अर्थ में प्राप्त करता है यद्यपि चैक का संदाय प्राप्त करने के पूर्व वह चैक की रकम अपने व्यवहारी के खाते में जमा कर देता है।

[2][**स्पष्टीकरण II**—बैंकार का, जो अपने साथ धारित विकृत चैक के इलेक्ट्रानिक प्रतिबिम्ब पर आधारित भुगतान प्राप्त करता है, चैक के विकृत होने की प्रथम दृष्ट्या असलियत और लिखत पर प्रत्यक्षतः किसी कपट, कूटरचना और बिगाड़ने को सत्यापित करेगा, जिसका सत्यापन सम्यक् तत्परता और साधारण सावधानी से किया जा सकता है।]

131-क. ड्राफ्टों को अध्याय का लागू होना—इस अध्याय के उपबन्ध धारा 85-क में यथापरिभाषित किसी भी ड्राफ्ट को ऐसे लागू होंगे मानो ड्राफ्ट चैक हो।

---

1. 2002 का अधिनियम संख्या 55 द्वारा पुनर्संख्यांकित।
2. 2002 का अधिनियम संख्या 55 द्वारा अन्तःस्थापित।

अध्याय 15

जो विनिमय-पत्र संवर्ग में हैं उनके विषय में

132. विनिमय-पत्रों का संवर्ग—विनिमय-पत्र ऐसी मूल प्रतियों में लिखे जा सकेंगे जिनमें से हर एक संख्यांकित हो और जो यह उपबंध अन्तर्विष्ट रखता हो कि वह केवल उसी समय तक देय बना रहेगा जब तक कि अन्य असंदत्त रहते हैं। सब मूल प्रतियां मिलकर एक संवर्ग गठित करती हैं, किन्तु पूरे संवर्ग से केवल एक विनिमय-पत्र गठित होता है और वह तब निर्वापित हो जाता है जब उन प्रतियों में से कोई यदि एक पृथक् विनिमय-पत्र होता तो निर्वापित हो जाता।

अपवाद—जब कि कोई व्यक्ति विनिमय-पत्र की विभिन्न मूल प्रतियों को विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में प्रतिगृहीत करता या पृष्ठांकित करता है और तब वह और हर एक मूल प्रति का पश्चात्वर्ती ऐसी मूल प्रति पर ऐसे दायी होते हैं मानो वह पृथक् विनिमय-पत्र हों।

133. प्रथम अर्जित मूल प्रति का धारक सबका हकदार होता है—एक ही संवर्ग की विभिन्न मूल प्रतियों के सम्यक्-अनुक्रम-धारकों के बीच का जहां तक संबंध है उनमें से वह, जिसने अपनी मूल प्रति का हक सबसे पहले अर्जित किया, अन्य मूल प्रतियों का और विनिमय-पत्र के धन का हकदार होता है।

अध्याय 16

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय में

134. विदेशी लिखत के रचयिता, प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक के दायित्व को शासित करने वाली विधि—तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो विदेशी वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक के रचयिता या लेखीवाल का दायित्व सब आवश्यक बातों में उस स्थान की विधि द्वारा विनियमित होता है जहाँ उसने वह लिखत रची थी तथा प्रतिगृहीता और पृष्ठांकक के अपने-अपने दायित्व उस स्थान की विधि से विनियमित होते हैं जहाँ लिखत देय की गई है।

दृष्टांत

क द्वारा एक विनिमय-पत्र केलीफोर्निया में लिखा गया, जहाँ ब्याज की दर पच्चीस प्रतिशत है और वाशिंगटन में देय जहाँ ब्याज की दर छह प्रतिशत है, ख द्वारा प्रतिगृहीत किया गया। विनिमय-पत्र भारत में पृष्ठांकित किया गया है, और वह अनादृत हो गया। विनिमय-पत्र पर ख के विरुद्ध भारत में अनुयोजन लाया जाता है। वह केवल छह प्रतिशत की दर से ब्याज देने के दायित्व के अधीन है। किन्तु यदि क लेखीवाल के रूप में भारित किया जाता है तो वह पच्चीस प्रतिशत की दर से ब्याज देने के दायित्व के अधीन है।

135. संदाय के स्थान की विधि अनादर को शासित करती है—जहाँ कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक उस स्थान से भिन्न स्थान में देय किया गया है जिसमें वह रचित या पृष्ठांकित किया गया है वहाँ उस स्थान की विधि जहाँ वह देय किया गया है, अवधारित करती है कि अनादर किस बात से गठित होता है और अनादर की कैसी सूचना प्राप्त होती है।

दृष्टांत

एक विनिमय-पत्र, जो भारत में लिखा और पृष्ठांकित किया गया किन्तु फ्रांस में देय के तौर पर प्रतिगृहीत किया गया था, अनादृत हो जाता है। पृष्ठांकिती से अनादर के लिए उसका प्रसाक्ष्य कराता है और फ्रांस की विधि के अनुसार उसकी सूचना दे देता है यद्यपि जो विनिमय-पत्र विदेशी नहीं है उनके बारे में एतस्मिन् अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार वह सूचना नहीं है। तथापि वह सूचना पर्याप्त है।

136. भारत के बाहर किन्तु भारत की विधि के अनुसार रचित आदि लिखत—यदि परक्राम्य लिखत भारत के बाहर, किन्तु भारत की विधि के अनुसार, रचित, लिखित, प्रतिगृहीत या पृष्ठांकित है तो इस बात से कि ऐसी लिखत जिस करार की साक्ष्य है वह उस देश की विधि के अनुसार अविधिमान्य है जिसमें वह किया था, उस पर, भारत में किया गया कोई पश्चात्वर्ती प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन अविधिमान्य नहीं हो जाता।

137. विदेशी विधि के बारे में उपधारणा—वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चैक संबंधी किसी भी विदेश की विधि के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह वैसी ही है जैसी कि भारत की है जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए।

[1][अध्याय 17

खाते में धन की अपर्याप्तता के कारण कतिपय चैकों के अनादृत होने की दशा में शास्ति के सम्बन्ध में

138. खाते में धन की अपर्याप्तता इत्यादि के कारण चैक का अनादर—जब एक व्यक्ति किसी बैंकार के पास अपना खाता रखता है और उसे बनाये रखता है, उक्त खाते से भुगतान हेतु किसी राशि का कोई चैक किसी व्यक्ति को किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के आंशिक या पूर्ण भुगतान स्वरूप प्रदान करता है और उक्त चैक बैंक द्वारा बिना भुगतान किये इस कारण वापस कर दिया जाता है कि उक्त खाते में धन की अपर्याप्तता है या खाता धारक एवं बैंक के मध्य करार द्वारा निश्चित की गई धन भुगतान सीमा से, चैक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि अधिक है तो ऐसा व्यक्ति अपराध करने का दोषी माना जायेगा और वह अधिनियम के किसी प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा और वह ऐसे कारावास से दण्डित होगा [2][जिसकी अवधि दो वर्ष हो सकती है] या चैक की धनराशि के दो गुने अर्थदण्ड से दण्डित किया जायगा या अर्थदण्ड और कारावास दोनों से दण्डित किया जायेगा।

इस धारा के प्रावधान उस समय तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि—

(क) चैक, जारी किये जाने की तिथि से छः माह के अन्दर अथवा वैधता की तिथि तक, जो अग्रिम हो, बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो,

(ख) आदाता या सम्यक अनुक्रम में धारक, जैसी कि स्थिति हो, कथित राशि के भुगतान की मांग चैक के आदेश से चैक के भुगतान न होने एवं वापसी की सूचना प्राप्ति के [3][तीस दिनों के भीतर] करे, और

(ग) ऐसे चैक का आदेशक आदाता को या सम्यक अनुक्रम में धारक, जैसी कि स्थिति हो, को उक्त धनराशि का भुगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर करने में असफल होता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के उद्देश्य से "ऋण या अन्य दायित्व" का अर्थ विधितः अनुयोज्य ऋण या अन्य दायित्व है।

---

1. 1988 का अधिनियम संख्यांक 66 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 2002 का अधिनियम संख्या 55 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 2002 का अधिनियम संख्या 55 द्वारा प्रतिस्थापित।

139. धारक के पक्ष में प्रकल्पना—जब तक अन्यथा सिद्ध न हो यह प्रकल्पना की जायेगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में वर्णित प्रकृति का चैक किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान स्वरूप प्राप्त किया है।

140. प्रतिवाद जिसे धारा 138 के अभियोजन में स्वीकार नहीं किया जायेगा—यह कि चैक जारी करते समय आदेशक को यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि प्रस्तुत किये जाने पर चैक धारा 138 में वर्णित कारणों के आधार पर अनादृत हो जायेगा, धारा 138 के अन्तर्गत अपराध के अभियोजन में कोई प्रतिवाद नहीं होगा।

141. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) यदि धारा 138 के अन्तर्गत अपराध कारित करने वाला व्यक्ति एक कम्पनी है तो वे प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित करते समय कम्पनी के कृत्य व व्यवसाय के कार्यभारी तथा उत्तरदायी थे तथा कम्पनी अपराध कारित करने के दोषी माने जायेंगे तथा तदनुसार अभियोजित व दण्डित किये जाने के दायित्वाधीन होंगे :

परन्तु इस उपधारा में वर्णित कोई प्रावधान किसी व्यक्ति को दण्ड के दायित्वाधीन नहीं करेगा यदि वह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान के अभाव में हुआ अथवा उसने युक्ति-युक्त सावधानियाँ ऐसे अपराध को कारित होने से निषेध हेतु प्रयुक्त की थीं।

[1][परन्तु यह और कि जहाँ व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन वित्त निगम, यथास्थिति, में अपने किसी पद या नियोजन के धारण करने के परिणामस्वरूप कम्पनी के निदेशक के रूप में नामांकित किया जाता है, वहाँ वह इस अध्याय के अधीन अभियोजन के लिये दायी नहीं होगा।]

(2) उपधारा (1) में वर्णित किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी कम्पनी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध कारित हुआ तथा यह सिद्ध हो जाये कि उक्त अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, या कम्पनी के किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से हुआ तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे तथा तदनुसार अभियोजित व दण्डित होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के उद्देश्य से—

(क) "कम्पनी" का अर्थ निगमित संस्था है तथा फर्म या अन्य व्यक्तियों के संगठन को समाविष्ट करता है; और

(ख) "निदेशक" का अर्थ फर्म के सम्बन्ध में फर्म का भागीदार है।

142. अपराध का संज्ञान—[2][(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी—

(क) धारा 138 में दण्डनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं स्वीकार करेगा जब तक कि, चैक का आदाता, या जैसी स्थिति हो, सम्यक अनुक्रम में धारक लिखित परिवाद न करे;

(ख) ऐसा परिवाद धारा 138 की उपधारा (ग) के अन्तर्गत वादकारण के उत्पन्न होने की तिथि के एक माह के भीतर होना चाहिए :

---

1. 2002 का अधिनियम संख्या 55 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. अधिनियम क्र० 26 सन् 2015 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 15.6.2015 से धारा 142 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित।

[1][परन्तु परिवाद का संज्ञान न्यायालय द्वारा विहित अवधि के बाद लिया जा सकेगा, यदि परिवादी न्यायालय का समाधान करता है कि उसे ऐसी अवधि के भीतर परिवाद न करने के लिये पर्याप्त हेतुक है।]

(ग) प्रथम श्रेणी मट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अवर न्यायालय धारा 138 में वर्णित अपराध का शोधन नहीं करेगा।]

[2][(2) धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध की जांच और विचारण, केवल किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर—

(क) यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए परिदत्त किया जाता है, तो बैंक की शाखा जहां पर यथास्थिति पानेवाला या सम्यक् अनुक्रम में धारक, खाता बनाए रखता है, स्थित है; या

(ख) यदि चेक, पाने वाले या सम्यक् अनुक्रम में धारक द्वारा संदाय के लिए, खाते के माध्यम से अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है, ऊपरवाल बैंक की शाखा, जहां लेखीवाल खाता बनाए रखता है, स्थित है।

स्पष्टीकरण—खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई चेक, पाने वाले या सम्क् अनुक्रम में धारक के बैंक की किसी शाखा में संग्रहण के लिए परिदत्त किया जाता है, तो चेक बैंक की उस शाखा में परिदत्त किया गया समझा जाएगा, जिसमें यथास्थिति पानेवाला या सम्यक् अनुक्रम में धारक खाता बनाए रखता है।]

[3][**142क. लम्बित मामलों के अन्तरण का विधिमान्यकरण**—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथासंशोधित धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अन्तरित सभी मामले, इस अधिनियम के अधीन अन्तरित किए गए समझे जाएंगे, मानो वह उपधारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी।

(2) धारा 142 की उपधारा (2) या उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां यथास्थिति, पाने वाले या सम्यक् अनुक्रम में धारक ने, धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में किसी चेक के लेखीवाल के विरुद्ध परिवाद फाइल किया है या उपधारा (1) के अधीन मामला उस न्यायालय को अन्तरित किया गया है तथा ऐसा परिवाद उस न्यायालय में लम्बित है, तो उसी लेखीवाल के विरुद्ध धारा 138 से उद्भूत होने वाले सभी पश्चात्वर्ती परिवाद, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या वे चेक उस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर संग्रहण के लिए परिदत्त या संदाय के लिए प्रस्तुत किए गए थे, उसी न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाएंगे।

(3) यदि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ की तारीख को, यथास्थिति उसी पाने वाले या सम्यक् अनुक्रम में धारक, द्वारा चेकों के उसी लेखीवाल के विरुद्ध फाइल किए गए एक से अधिक अभियोजन भिन्न-भिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हैं, तो न्यायालय की अवेक्षा में उक्त तथ्य लाए जाने पर, वह न्यायालय परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथासंशोधित धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले ऐसे न्यायालय को, जिसके समक्ष पहला मामला फाइल किया

---

1. 2002 का अधिनियम संख्या 55 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. अधिनियम क्र० 26 सन् 2015 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 15.6.2015 से अन्त:स्थापित।
3. अधिनियम क्र० 26 सन् 2015 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 15.6.2015 से अन्त:स्थापित।

गया था और लम्बित है, वह मामला इस प्रकार अन्तरित कर देगा, मानो वह उपधारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी।]

[1][**143. मामले पर संक्षिप्त ढंग से विचार करने की न्यायालय की शक्ति**—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी इस अध्याय के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से 265 (दोनों को शामिल करके) के प्रावधान, यथाशक्य, ऐसे विचारणों को लागू होंगे :

परन्तु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में मजिस्ट्रेट के लिए एक वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास और पाँच सौ रुपये से अधिक के जुर्माने की धनराशि का दण्ड पारित करना विधिपूर्ण होगा :

परन्तु यह और कि जब इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रारम्भ पर या के अनुक्रम में मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दण्ड पारित किया जा सकेगा या किसी अन्य कारण से मामले का संक्षिप्त ढंग से विचारण करना अवांछनीय है, तब मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के बाद इस प्रभाव का आदेश अभिलिखित करेगा और इसके बाद किसी साक्षी को बुलाएगा, जिसकी परीक्षा की जा सकेगी और उक्त संहिता में उपबन्धित ढंग में मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई की कार्यवाही करेगा।

(2) इस धारा के अधीन मामले का विचारण, यथासाध्य न्याय के हित से संगत रूप में अपने निर्णय तक दिन प्रतिदिन जारी रहेगा, जब तक न्यायालय आगामी दिन के बाद लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विचारण का स्थगन आवश्यक होना नहीं पाता।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथासम्भव शीघ्रता से किया जाएगा और परिवाद को दाखिल करने की तारीख से छः मास के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

144. समन की तामीली का ढंग—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी और इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अभियुक्त या साक्षी को समन जारी करने वाला मजिस्ट्रेट समन की प्रतिलिपि को त्वरित डाक द्वारा या ऐसी कोरियर सेवा द्वारा जो सत्र न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो, ऐसे स्थान पर तामील किए जाने का निर्देश दे सकेगा, जहाँ ऐसा अभियुक्त या साक्षी सामान्यतया निवास करता है या कारबार करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कारबार करता है।

(2) जहाँ अभिस्वीकृति; जो अभियुक्त या साक्षी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित है या पृष्ठांकन, जो डाक विभाग या कोरियर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने के लिए तात्पर्यित है कि अभियुक्त या साक्षी ने समन का परिदान ग्रहण करने से इन्कार किया है, वहाँ समन को जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि समन सम्यक्रूप से तामील की गयी है।

145. शपथ-पत्र पर साक्ष्य—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, परिवादी उसके द्वारा शपथ-पत्र पर किया जा सकेगा और सभी न्यायोचित

---

1. 2002 का अधिनियम संख्या 55 द्वारा अन्तःस्थापित।

अपवादों के अध्यधीन उक्त संहिता के अधीन किसी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा।

(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझता है, अभियोजन का अभियुक्त के आवेदन पर शपथ-पत्र पर साक्ष्य देने वाले किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और समन करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट तथ्यों के सम्बन्ध में परीक्षा कर सकेगा या परीक्षा करेगा।

146. बैंक की परची कतिपय तथ्यों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य—न्यायालय इस अध्याय के अधीन प्रत्येक कार्यवाही के सम्बन्ध में, बैंक की परची या ज्ञापन को, जिस पर यह निर्दिष्ट करते हुए कार्यालय चिन्ह हो कि चैक का अनादर किया गया है, को पेश करने पर ऐसे चैक के अनादर के तथ्य की उपधारणा करेगा, यदि और जब तक ऐसे तथ्य को नासाबित नहीं किया जाता।

147. अपराध शमनीय होगा—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध शमनीय होगा।

अनुसूची—[अधिनियमितियाँ निरसित।] संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा निरसित।